इक्वेशन्स एक शोध, एडवोकेसी एवं अभियान केन्द्रित संस्थान है जो कि 1985 से पर्यटन के प्रभाव, खासकर स्थानीय समुदायों के अधिकारों और उनके हितों को लेकर सतत् कार्यरत है। हम ऐसे पर्यटन की कल्पना करते हैं जो गैर शोषणकारी हो और जहां पर निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो और पर्यटन के लाभों तक सभी की पहुंच हो एवं इनका न्यायोचित वितरण भी होता हो।

यह कैसा सार्वजनिक उद्देश्य?

यह ध्यान देने योग्य बात है कि भविष्य का पर्यटन स्थल किस प्रकार से आज भी लगातार नर्मदा के आदिवासियों को बेदखल कर रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में प्रस्तावित पर्यटन परियोजना की जांचपरक रिपोर्ट

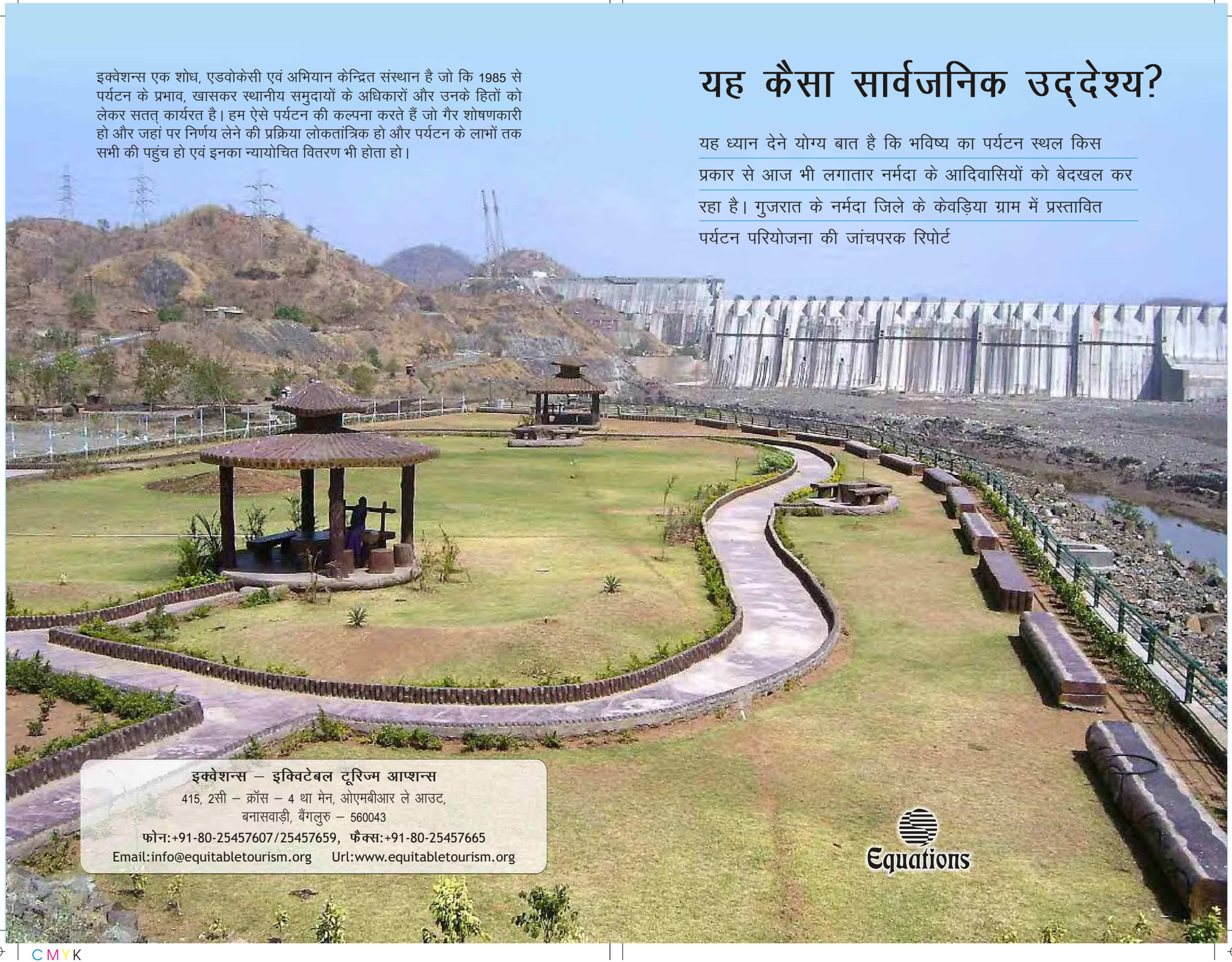

इक्वेशन्स – इक्विटेबल टूरिज्म आप्शन्स

415, 2सी – क्रॉस – 4 था मेन, ओएमबीआर ले आउट,
बनासवाड़ी, बैंगलुरु – 560043

फोन:+91-80-25457607/25457659, **फैक्स:**+91-80-25457665

Email:info@equitabletourism.org Url:www.equitabletourism.org

Equations

मार्च 2009
इक्वेशन्स – इक्विटेबल टूरिज्म आप्शन्स
415, 2 सी क्रास, 4था मेन
ओएमबीआर ले आऊट, बनासवाड़ी
बैंगलुरु – 560043
फोन – +91–80–25457607 / 25457659
फैक्स – +91–80–25457665
ई–मेल info@equitabletourism.org
URL www.equitabletourism.org

कर्नाटक सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 के अंतर्गत 1985 में एक सोसाईटी के रूप में पंजीकृत।

आयकर अधिनियम 1961 में धारा 80 जी एवं धारा 12 (अ) के अंतर्गत पंजीकृत।

यह जांचपरक रिपोर्ट सोपर्णो लहिरी (नेशनल फोरम ऑफ फारेस्ट पीपुल एण्ड फॉरेस्ट वर्कर) एवं अदिति चंचानी (इक्वेशन) द्वारा तैयार की गई है। उन्होंने मार्च 2007 में केवड़िया का दौरा किया था। इस संबंध में शोध संबंधी अतिरिक्त सहायता रोजमेरी विस्वनाथ एवं अनन्या दासगुप्ता (इक्वेशन्स) द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

अनुवद : यह जांचपरक रिपोर्ट का हिन्दी अनुवद श्री चिन्मय मिश्र ने किया है।

हम आपके आभारी रहेगें यदि आप इस दस्तावेज में दी गई जानकारी का उपयोग उचित उल्लेख के साथ करते हैं। इस प्रकाशन एवं पर्यटन से संबंधित अन्य प्रकाशनों की प्रति के लिए कृपया हमें info@equitabletourism.org पर लिखें।

प्रस्तावना

जब हम राज्य द्वारा प्रस्तावित किसी 'विकास परियोजना' की बात सुनते हैं तो कई बार राज्य की बातों पर विश्वास कर प्रगति की अभिलाषा से आनंदित हो उठते हैं। इस संदर्भ में मेरा सभी मित्रों से आग्रह है कि वे यथासंभव विकास की प्रत्येक ऐसी परियोजना की तटस्थ जानकारी (सूचना) प्राप्त कर उसका गहन अध्ययन करें। यह छोटी सी पुस्तिका गुजरात में नर्मदा के किनारे स्थित आदिवासी बहुल केवड़िया के इलाके के 16 गावों के आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का ऐसा ही एक अध्ययन है।

गुजरात के लोग सरदार सरोवर बांध से संबंधित विवादों की काफी जानकारी रखते हैं। वैसे तो मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों ही प्रदेशों की सरकारें पुनर्वास का दावा करती हैं परंतु पुनर्वसाहट केन्दों में जाकर देखने से विस्थापन की मात्रा, वास्तविकता और विस्थापितों की पीड़ा का वास्तविक अंदाजा लगाया जा सकता है। जलाशय से 40,000 परिवारों की 2 लाख की जनसंख्या के 225 से अधिक गांव और एक बड़ा शहर डूब में आ चुका है। इसके बावजूद यहां पर बसे गरीबों का, जिनके पैतृक गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं, पुनर्वसन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसी कारण बांध का कार्य भी रुका हुआ है। दूसरी ओर सरदार सरोवर बांध से ही प्रभावित गुजरात के आदिवासियों की अभी तक न तो पूरी गणना की गई है और न ही उनके लिए पुनर्वास नीति लागू की गई है। बांध की कॉलोनी, नहरों आदि अनेक कारणों से प्रभावित हजारों हजार परिवार, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, का 'पुनर्वास' की योजनाओं में कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है।

इसके बावजूद गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर बांध के इर्द–गिर्द, केवड़िया क्षेत्र में एक पर्यटन परियोजना का कार्य हाथ में लिया है जिससे सैकड़ों परिवार विस्थापित होगें।

सन् 1961 में वडोदरा से 90 किलोमीटर दूर स्थित केवड़िया, वाघेडिया, कोठी, लिमड़ी, नवागाम और गोरा गांव के निवासियों के घर व तैयार फसल सहित जमीने मात्र 200 रु. प्रति एकड़ का मुआवजा देकर अधिग्रहित कर ली गई थीं। इन गांवों के निवासियों द्वारा सरदार सरोवर बांध प्रभावित माने जाने का संघर्ष सन् 1987 से जारी है। इनसे अधिग्रहित यह भूमि अभी भी किसी उपयोग में नहीं आ रही है। अनुसूचित जाति–जनजाति के लिए गठित संसदीय समिति ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है कि जिस आशय से भूमि अधिग्रहित की जाती है यदि उसका उपयोग नहीं होता है तो उक्त भूमि मूल भू–स्वामी को लौटा देनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने अप्रैल 1996 में ही गुजरात सरकार को यह सूचना दे दी थी। परंतु गुजरात सरकार उस

पर अमल करने की बात तो दूर, 10 अन्य गांवों की भूमि भी अधिग्रहित कर, इन 16 गांवों में रईसों द्वारा छुट्टी मनाने के लिए एक पर्यटन परियोजना प्रारंभ करने में जी जान से जुट गई है।

इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि यह इलाका संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद वहां स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की अनुमति के बिना केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा 'काडा' के गठन की मंजूरी कैसे दी गई?संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत आदिवासी इलाकों को 'स्वशासन' के अधिकार दिए गए है। परंतु इस संशोधन का वास्तविक अर्थों में क्रियान्वयन पूर्ण रूप से देश में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि आदिवासियों की ग्रामसभा से अनुमति लिए बिना उनके जमीन, घर, गांव व जंगल ही नहीं उनके निर्णय लेने के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। यह गंभीर बात है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक हित के नाम पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार छीने जा रहे है। इतना ही नहीं तमाम निजी निवेशकों को स्थान, प्रतिष्ठा और अनेक अन्य लाभ प्रदान करने वाली पर्यटन परियोजना को 'सार्वजनिक हित' माना जाना भी एक विशिष्ट विकृत घटना ही है। चाहे जितना उदार होकर भी सोचा जाए तो भी सरदार सरोवर बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि को निजी कंपनियों को होटल या वाटरपार्क के निर्माण के लिए दिया जाने को किसी भी अर्थ में सार्वजनिक हित का कार्य नहीं कहा जा सकता। इसके बजाए अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि को मूल विस्थापितों को 'लौटाया जाना' वास्तव में 'सार्वजनिक हित' का कार्य होता, जिससे उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त जीने का अधिकार भी बचा रहता। परंतु गुजरात सरकार तो पूर्णतः गैर संवैधानिक कदम उठाने पर उतारू है।

प्रस्तुत पुस्तिका बैंगलूरु स्थित पर्यटन को लेकर शोध एवं हिमायत करने वाली संस्था 'इक्वेशन्स' द्वारा की गई विस्तृत जांच की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मूलतः अंग्रेजी में प्रस्तुत की गई थी जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया हैं यह जांचपरक रिपोर्ट मूलतः सुपर्णा लाहिरी और अदिति चंचानी ने गहरे अध्ययन और मैदानी सर्वेक्षण के आधार पर संयुक्त रूप से तैयार की है। इसका गुजराती अनुवाद सुप्रसिद्ध शिक्षाविद श्री ज्योति भाई देसाई ने किया है। पुस्तिका का हिंदी अनुवाद संवेदनशील लेखक और पत्रकार श्री चिन्मय मिश्र ने किया है। परियोजना प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए इस पुस्तिका का अनुवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने तो इस परियोजना से प्रभावित लोगों तक अभी तक कोई भी सूचना नहीं पहुंचाई है। देशभर में न केवल नर्मदा नदी के बांधों से 'विकास' के नाम पर बन रही परियोजनाओं से उजाड़े जा रहे समुदाय, लोग और उनके समर्थकों के अलावा सभी विचारशील

नागरिकों के लिए भी इस दिल दहलाने वाली वास्तविकता को जानने के बाद अपनी राय बनाना और इस दिशा में ठोस कदम उठाना भी आवश्यक है। अगर वे इस विषय पर लिखते हैं तो यह और भी फलदायी सिद्ध होगा।

सरकारों की तथाकथित 'विकास नीति', प्राकृतिक संसाधनों पर पीढ़ियों से निर्भर होकर अपना जीवनयापन करने वाले आदिवासियों के लिए किस हद तक विनाशकारी सिद्ध हो सकती है यह पुस्तिका इस तथ्य के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आशा है पाठक इस विषय पर गंभीर मनन करेगें और इससे संबंधित आगामी कार्यक्रमों में हमसे जुड़कर सहयोग करेंगे।

रोहित प्रजापति
सामाजिक कार्यकर्ता,
बड़ौदा, गुजरात

यह कैसा सार्वजनिक उद्देश्य ?

यह ध्यान देने योग्य बात है कि भविष्य का पर्यटन स्थल किस प्रकार से आज भी लगातार नर्मदा के आदिवासियों को बेदखल कर रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में प्रस्तावित पर्यटन परियोजना की जांचपरक रिपोर्ट।

इक्वेशन्स – मार्च 2008

अन्याय अभी तक नर्मदा नदीघाटी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे–जैसे सरदार सरोवर बांध प्रत्येक वर्ष और मानसून के बाद 138 मीटर की ऊँचाई की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे–वैसे पहाड़ियां, पहाड़ और समतल भूमि जलमग्न होती जा रहीं हैं। इतना ही नहीं प्राचीन वन, गांव, निवासी और उनकी कृषि भूमि सब कुछ, बिना समुचित पुनर्वास और मुआवजे के डूब रहा है। यह तथ्य या प्रवृत्ति मात्र सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी.) के प्रभाव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अमानवीय यंत्रणा पूरी नर्मदा घाटी जिसमें ओंकारेश्वर व मान बांध, इंदिरा सागर परियोजना एवं बरगी व महेश्वर बांध शामिल हैं, सभी में व्याप्त है। एक चौथाई शताब्दी के समयकाल में लाखों लोगों को अपनी पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया गया है एवं हजारों हजार हेक्टेयर खड़ी फसलें नष्ट कर दी गई हैं। बीस वर्ष से अधिक के साहस भरे व उदात्त संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान, नर्मदा जल विवाद निष्पादन ट्रिब्युनल के अवार्ड एवं उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बावजूद आज भी ढाई लाख से अधिक व्यक्ति, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी भी शामिल हैं, का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। वे आज भी प्रतीक्षारत हैं कि माँ नर्मदा का जल उन्हें अपने में समाहित कर ले, डुबो ले।

नर्मदाघाटी परियोजनाओं के अंतर्गत 30 विशाल या बड़े बांध, 135 मध्यम आकार के बांध और 3000 छोटे या लघु बांधों के अतिरिक्त न्यूनतम 75,000 कि.मी. लम्बा नहरों का जाल नर्मदा नदी के पानी को वहां–वहां ले जाया जाएगा, जहां–जहां 'राज्य' उसे आदेश देगा। नर्मदा जलविवाद ट्रिब्यूनल में 10 वर्षों तक विचार विमर्श के पश्चात् 1979 में परियोजना प्रारूप सामने आया था। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी के अरब सागर में विलीन होने के पूर्व अंतिम बांध है। यह इंदिरासागर बांध के साथ घाटी की दो विशालकाय परियोजनाओं में से एक है।

जहां एक ओर दो लाख पचास हजार से अधिक विस्थापित अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विस्थापन का नया दौर प्रारंभ हो गया है। इस बार निशाना है, केवड़िया ! गुजरात का गौरव

कहलाने वाला सरदार सरोवर बांध का निर्माण स्थल केवड़िया में ही स्थित है और इसके इर्द गिर्द प्रस्तावित है, विशाल पर्यटन परियोजना। केवड़िया के निवासियों की गाथा तो दोहरी त्रासदी की गाथा है। अनेक दशकों तक बिना पुनर्वास, बांध और विस्थापन से संघर्ष के पश्चात, अब उन्हें एक नए शत्रु ''पर्यटन'' से दो–दो हाथ करने पड़ रहे हैं।

बांध से पर्यटन तक : केवड़िया ही क्यों?

वडोडरा (बड़ौदा) से 90 कि.मी. दूर स्थित केवड़िया और अन्य पांच छोटे गांवों की नींद बहुत वर्ष पहले, सन् 1961 की सर्दियों में अजीब कर्कश सी आवाजों से टूटी। कोठी गांव में एक बुलडोजर आया और उसने खड़ी फसल को रौंद कर खेत को समतल बना दिया। ग्रामीणों को बताया गया कि हेलीपेड के निर्माण के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है। (ग्रामीणों के लिए तो यह अजूबा ही था) कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और संभवतः फसल को हुई क्षति हेतु थोड़ा–बहुत भुगतान किया गया। उसके बाद 15 जनवरी 1961 को एक बड़ी सी चिड़िया, ''हेलीकॉप्टर'' (स्थानीय भाषा में चीलगाड़ी) में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का आगमन हुआ। उन्होंने भाषण दिया एवं बटन दबाकर नदी की दूसरी तरफ एक विस्फोट किया। इसके बाद वे वापस लौट गए। परंतु तब भी बहुत कम लोगों को यह पता चल पाया था कि सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन हो गया है।

1961 में उद्घाटन के तत्काल बाद गुजरात सरकार ने 6 गांवों केवड़िया, वाघोड़िया, कोठी, लिमड़ी, नवागाम और गोरा के 397 परिवारों की 1777 एकड़ भूमि (तालिका 1 व 2 देखिए) का अधिग्रहण कर लिया। ये सभी ग्रामीण ताड़वी आदिवासी समुदाय के थे। उन्हें सार्वजनिक उद्देश्य यानि सरदार सरोवर बांध के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के नोटिस दिए गए थे। साथ ही उनसे यह भी कहा गया था कि उन्हें इस हेतु नकद मुआवजे के अलावा बांध निर्माणस्थल पर रोजगार भी दिया जाएगा। 1961 से 63 के मध्य परियोजना के शुरुआती दौर में ही उनके घरों और भूमि को 'परियोजना कॉलोनी' के लिए मात्र 80 से 250 रुपए प्रति एकड़ के मूल्य पर अधिग्रहित कर लिया गया। परंतु उन्हें जलाशय के परियोजना प्रभावितों के समकक्ष मान्यता कभी भी प्राप्त नहीं हुई।

तालिका – 1 भूमि अधिग्रहण – 1961 (एकड़ में)

गांव	कुल भूमि	अधिग्रहित भूमि	खाली पड़ी भूमि
केवड़िया कोठी	957	755	201
वाघोड़िया	280	280	0
गोरा	914	259	655
नवागाम	290	218	72
लिमड़ी	350	265	84
कुल	2791	1777	1012

स्त्रोत : न.ब.आं. द्वारा सूचना का अधिकार कानून के दिए गए प्रार्थनापत्र के आधार पर 6 जनवरी 2008 को प्राप्त

तलिका क्र. 2 : 1961 में हुए भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप प्रभावित परिवार

गांव	भूमि पर आश्रित परिवारों की कुल संख्या	आंशिक भूमि अधिग्रहण : कुल भूमि का 25 प्रतिशत या अधिक	खाली पड़ी भूमि
केवड़िया – कोठी	122	72	50
वाघोड़िया	50	0	50
गेरा	113	98	15
न्वागाम	49	39	10
लिमड़ी	63	40	23
कुल	397	249	148

स्त्रोत–न.ब.आं. द्वारा सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत दिए प्रार्थनापत्र के आधार पर 6 जनवरी 2008 को प्राप्त

विश्व बैंक द्वारा 1985 में सरदार सरोवर बांध हेतु ऋण स्वीकृत करने के पूर्व तैयार की गई परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया था कि इन छः गांवों के निवासी भी बेदखल होने वालों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु उन्हें उनके ''परम्परागत निवास'' से ''विस्थापित'' किया गया है। अतएव इन्हें भी विशेष पुनर्वास पैकेज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। परंतु गुजरात सरकार को इन पर तनिक भी दया नहीं आई।

हालांकि 1992 में मोर्स समिति (विश्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र समीक्षा आयोग) एवं विश्व बैंक द्वारा डाले गए दबाव के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार इन्हें खैरात जैसा मुआवजा देने को विवश हुई। 12000 रु. प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय हुआ और उसकी अधिकतम सीमा 36000 रु. तय कर दी गई। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि

मुआवजा निर्धारण में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि संबंधित व्यक्ति की 3 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है या 10 एकड़। मुआवजे का यह प्रस्ताव आज भी अपनी जगह पर कायम है जबकि पिछले 15 वर्षों में संबंधित भूमि के बाजार मूल्य में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। इन छः गांवों में अधिकतम 10 से 20 प्रतिशत परिवार, उनमें से भी मुख्यतः वृद्धों ने ही धन लेना स्वीकार किया है।

इन छः गांवों की भूमि के बड़े हिस्से को सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि[1] की केवड़िया परियोजना कॉलोनी में परिवर्तित कर दिया गया। इन छः गांवों के अधिकांश परिवारों ने उन्हें दिए जा रहे इस ''अल्प मुआवजे'' को लेने से इंकार कर दिया है। वे दृढ़तापूर्वक कर रहे हैं कि यह उनका अधिकार है कि उन्हें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सी मान्यता मिले और वे सारे लाभ भी उन्हें प्राप्त हों जो कि उन परिवारों को मिल रहे हैं जिनकी भूमि या तो जलाशय में जा रही है या डूब क्षेत्र में आ रही है। शुरुआती वर्षों में उन परिवारों के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज करवाई गई थी जिन्होंने भूमि खाली करने से इंकार कर दिया था।

गौरतलब है कि अधिग्रहित संपूर्ण भूमि को उस समय भी सार्वजनिक प्रयोजन अथवा परियोजना संबंधी निर्माण हेतु चिन्हित नहीं किया गया था। इतना ही नहीं अनेक ग्रामवासी, परियोजना प्रभावितों की सूची में भी शामिल नहीं थे। चिमा लल्लू और रामा डाडला को नर्मदा जिला लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए भूमि अधिग्रहण के नोटिस में भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य, ''पेट्रोल पम्प निर्माण'' बताया गया था। एक अन्य मामले में वाघोड़िया के प्रभु भाई जिन्हें 1981 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (नर्मदा बांध निर्माण एवं इससे संबंधित प्रशासकीय गतिविधि संचालित करने वाली ऐसी पहली प्राधिकारी जिसे कार्य सौंपा गया था) में प्रतिदिन मजदूरी भुगतान के आधार पर कार्य दिया गया था, उन्हें अब किसी भी प्रकार के मुआवजा पाने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे 209 ग्रामवासी जो आज भी सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एस. एस.एन.एन.एल.) में कार्यरत हैं (देखें तालिका क्र. 3) में से अधिकांश रोजन्दारी पर ही कार्य कर रहे हैं और इनमें से बहुत थोड़े से ग्रामवासियों को स्थायी करा गया है। यहां अधिकांश ग्रामवासियों को उनकी योग्यता के आधार पर ही कार्य मिला है न कि परियोजना प्रभावित होने की वजह से।

[1] गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर (नर्मदा) बांध परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष संस्थान गठित किया है।

तालिका – 3 एसएसएनएनएल द्वारा नियुक्त ग्रामीणजन

गांव	एसएसएनएनएल द्वारा नियुक्त ग्रामीणजन
केवड़िया कोठी	79
वाघोड़िया	26
गेरा	35
नवागाम	36
लिमड़ी	33
कुल	209

स्त्रोत – न.ब.आं. द्वारा सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर 6 जनवरी 2008 को प्राप्त

लेखिका एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधती रॉय ने 1999 में लिखे अपने निबंध ''ग्रेटर कामन गुड''[2] में भी इस बात की पुष्टि की थी कि अधिग्रहित भूमि का बड़ा हिस्सा किसी काम में नहीं आ रहा है परंतु सरकार इसे लौटाने से इंकार कर रही है। उनका कहना था, ''केवड़िया कॉलोनी इस दुनिया की कुंजी है। वहां जाइये, रहस्य अपने आप आपके सामने उद्घाटित हो जाएगा।'' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''देवी बेन, जो कि अब विधवा हैं, से ग्यारह एकड़ भूमि अधिग्रहित कर स्वामीनारायण ट्रस्ट (एक विशाल धार्मिक ट्रस्ट) को दे दी गई। ट्रस्ट इस भूमि के छोटे से हिस्से में एक विद्यालय चलाता है। बाकी पर खेती होती है और देवी बेन कटीले तारों की बागड़ के पार से यह सब देखती रहतीं हैं। गोरा गांव की 200 एकड़ अधिग्रहित भूमि से ग्रामवासियों को बेदखल कर वहां रहवासी फ्लेट्स का समूह बना दिया गया है। ये बरसों बरस खाली पड़े रहे। अंततः सरकार ने इन्हें नाममात्र के शुल्क पर बांध के ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स को किराए पर दे दिया।

ग्रामवासियों का कहना है कि उसने (जयप्रकाश एसोसिएट्स) इन्हें 32000 रु. प्रतिमाह पर निजी तौर पर किसी अन्य को (पोटभाड़ैती) किराए पर दे दियें हैं। (जयप्रकाश एसोसिएट्स देश के सबसे बड़े बांध निर्माण ठेकेदार हैं। यह वास्तविक ''राष्ट्र निर्माता'' दिल्ली के सिद्धार्थ कान्टिनेन्टल व वसन्त कान्टिनेन्टल होटल का भी स्वामी है।)''

[2] देखिए 'दि ग्रेटर कामन गुड' अरुंधती रॉय, फ्रंटलाइन अप्रैल 1999

संघर्ष जारी है और केवड़िया की गाथा भी

केवड़िया का पर्यटन परियोजना में प्रवेश

केवड़िया में परियोजना कॉलोनी एवं संबंधित कार्यों हेतु अधिग्रहित 1777 एकड़ भूमि में से 1400 एकड़ भूमि वर्षों तक बिना किसी उपयोग के खाली पड़ी रही। (इण्डियन एक्सप्रेस, अहमदाबाद, न्यूज लाइन 26 अगस्त 2004) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई बिना उपयोग खाली पड़ी यह विशाल भूमि ही केवड़िया में पर्यटन परियोजना की उत्पत्ति का कारण बनी है। आज एसएसएनएनएल, आदिवासियों की 1400 एकड़ भूमि का गर्वोन्मत स्वामी है जो कि, ''वहां प्रस्तावित पर्यटन (या ईको पर्यटन जैसा कि वेब साइट बताती है) परियोजना के अंतर्गत बांध स्थल स्थित आदिम व प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक वनों, योजनाबद्ध बगीचों, काष्ठवन, प्राकृतिक पगडंडियों, एक ईको संग्रहालय और पहाड़ी के विशाल दृष्यपटल को इस तरह प्रस्तुत कर रहा है जिससे कि पर्यटक मोहित होकर वहां खिंचा चला आए और परियोजना द्वारा उपलब्ध लाभ उसे अचंभित कर दें।''[3] पता चला है कि पर्यटन विकास की इस परियोजना का वास्तविक सूत्रपात 90 के दशक के मध्य में अधिकृत विशेषज्ञता परियोजना के माध्यम से हुआ था। उस दौरान सिर्फ केवड़िया कॉलोनी ही नहीं नहर के आसपास चार अन्य स्थानों पर भी पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनी थी। यह संभवतः परियोजना के लिए धन एकत्र करने हेतु किया गया एक उपक्रम था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इससे संबंधित दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय में पेश भी किए थे, परंतु गुजरात सरकार ने न्यायालय में इस बात से इंकार कर दिया था।

इन प्रयत्नों को बाद में श्रृंखलाबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। एसएसएनएनएल की वेबसाईट पर इस संबंध में कई बहुत ही हास्यास्पद तथ्य पढ़ने को मिलते हैं, ''इको पर्यटन अपनी परिकल्पना में प्राकृतिक क्षेत्रों में संस्कृति व प्राकृतिक इतिहास को समझने हेतु उद्देश्यकारी भ्रमण है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ईको सिस्टम की अखंडता में कोई परिवर्तन न हो एवं साथ ही साथ इस क्षेत्र के निवासियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आर्थिक अवसर भी उपलब्ध हो सकें।'' ईको पर्यटन का यह विचार केवड़िया में वैज्ञानिक सोच, प्रबंधन व टिकाऊ पर्यटन उत्पाद व गतिविधियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसी विचार पर चलते हुए गुजरात पर्यटन नीति 2003–10 में, ''विश्वग्राम के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है जिसके अंतर्गत नदी व नर्मदा नहर के विस्तृत जाल के आसपास अनेक स्थानों पर विभिन्न देशों के स्थापत्यों के नमूने स्थापित करना प्रस्तावित है।''

[3] देखे http://www/gujrattourism.com/destination/sardar_sarovar/index.html

इसमें आगे कहा गया है, ''अनिवासी भारतीय (एनआरआई) व विश्व के विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटक इन स्थानों पर न केवल ठहरेगें, बल्कि घर जैसा भी महसूस करेगें।'' यह वास्तव में विडम्बनापूर्ण है कि 'घर जैसी' पर्यटन सुविधाएं व आनंद, अन्य देशों के धनी और विशिष्ट पर्यटकों को उन निवासियों को अपनी मातृभूमि और पारम्परिक निवास से बेदखल कर उपलब्ध कराया जा रहा है जो पीढ़ियों से यहां निवास कर रहे हैं।

एसएसएनएनएल के अनुसार बांध की निचली तरफ का क्षेत्र सूक्ष्म पर्णपाती वन, छितराई हुई झीलों, घास के मैदानों, नदियों, पहाड़ियों व नालों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना मनमोहक व तरंगित कर देने वाली है। इसमें पौधों, जीव जंतुओं व वन्यजीवों की अनूठी विविधता मौजूद है, जो कि इसे मनोरंजन गतिविधियों व अवकाश बिताने का बेहतरीन स्थान बनातीं हैं।

एसएसएनएनएल की वेबसाईट आगे बताती है कि वह निजी क्षेत्र की भागीदारी से इस क्षेत्र में ईको फ्रेंडली पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु इस विचार के साथ तत्पर है कि इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके एवं इससे परियोजना के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हो। विकास योजना के अनुसार इसमें विभिन्न घटक जैसे होटल व काटेज, रहने की वर्तमान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना, केम्प हेतु स्थान विकसित करना, मनोरंजन के क्षेत्र जिसमें वाटर पार्क, अवकाश पार्क, बाटेनिकल गार्डन, इकॉलोजिकल पार्क आदि का निर्माण, झीलों का विकास, यात्री केन्द्र, योग केन्द्र व कन्वेंशन सेंटर उपलब्ध करवाना शामिल हैं।[4]

मीडिया में 2003 से ही यह चर्चा में है कि गुजरात सरकार व एसएसएनएनएल दोनों ही यह विचार उन निजी उद्यमियों के गले उतारने का प्रयास कर रहीं हैं जिनकी रुचि पर्यटन विकास में है। सितम्बर 2004 में एक वैश्विक नियोजक बैठक (ग्लोबल इन्वेस्टर मीट) के अंतर्गत एक प्रस्तुति में 'नहर पर्यटन' को भविष्य का पर्यटन बताया गया है। एक अन्य प्रस्तुति में एसएसएनएनएल ने बांध स्थल कॉलोनी को ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 170 करोड़ रु. का प्रस्ताव रखा था।

गुजरात सरकार ने मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सरकार को सम्मिलित कर नर्मदा बांध के भीतर और आसपास पर्यटन गतिविधियां विकसित करने का एक विवादास्पद प्रस्ताव भी रखा था। दि टाईम्स आफ इंण्डिया (11 अक्टूबर 2003) की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अंतरराज्यीय पर्यटन परियोजना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और इसे दो पड़ौसी राज्यों

[4] वही

को भेजा गया है। ''इस पर मध्यप्रदेश ने यह जवाब दिया है कि उसे इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है वहीं महाराष्ट्र का कहना है कि परियोजना पर आगे कार्य किया जा सकता है बशर्ते लागत व आय की आपस में हिस्सेदारी हो।'' एसएसएनएनएल यह महसूस कर रहा था कि जलाशय का 150 किलोमीटर लम्बा हिस्सा जो औसतन 1 किलोमीटर चौड़ा है और 10 से 100 मीटर तक गहराई वाला है में वाटर स्पोर्टस, क्रूज व छोटी नाव चलाने, नर्मदाघाटी के आसपास की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग और वन क्षेत्र में ईको पर्यटन की गतिविधियों हेतु अपार अवसर उपलब्ध हैं।

समाचार में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि ''गुजरात की सीमा के बाहर के इन दोनों राज्यों में शराब की खुली उपलब्धता पागलपन की हद तक भ्रमण हेतु तत्पर गुजरातियों को अपनी छुट्टियां उन्मुक्तता से जल के विस्तार व जंगलों में व्यतीत करने को प्रेरित करेगी।'' इस प्रस्ताव का सितम्बर 2005 में आयोजित ''वाईब्रेन्ट गुजरात'' में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी चलते–चलते जिक्र हुआ था।

भविष्य के पर्यटन स्थल हेतु नियोजन

मई 2004 में एसएसएनएनएल द्वारा अनुबंधित सेंटर फार इन्वायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीईपीटी, पर्यावरण नियोजन एवं तकनीक केंद्र) ने इससे संबंधित एक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया। सीईपीटी ने अनुमानित 170 करोड़ रु. के 11 पैकेज चिन्हित किए थे। एसएसएनएल की तत्कालीन उप महाप्रबंधक मनीषा वर्मा ने बड़ी स्पष्टता से जोर देकर यह कहा था कि ''हमने इसे स्वयं विकसित करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिल्डर यहां आएं और किसी भी तरह का निर्माण खड़ा कर दें। अधिसंरचना के लिए होने वाले निर्माण के लिए भी सीईपीटी ने मास्टर प्लान में बहुत ही सख्त मानक तय किए हैं।'' (दि टाईम्स ऑफ इंडिया 13 सितम्बर 2004)

एसएसएनएनएल द्वारा प्रकाशित विवरणिका, ''केवड़िया : भविष्य का पर्यटन स्थल'' में विस्तृत पैकेज के साथ ही साथ संभावित निवेश और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का भी खुलासा किया गया है।

तलिका – 4 केवड़िया पर्यटन विवरणिका में प्रस्तावित क्षेत्र व निवेश के पैकेज का विवरण

क्रं.	पैकेज	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित निवेश (10 लाख रु. में)
1	वाटर पार्क, होटल	35	100
2	गोल्फकोर्स, होटल	80	300
3	वाटर पार्क, गोल्फकोर्स, होटल	110	400
4	बोटेनिकल गार्डन, कॉटेज, केंपिंग	20	40
5	थीम पार्क, कॉटेज, ट्रेकिंग	40	50
6	थीम पार्क, काटेज	20	40
7	कॉटेज, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, केंपिंग, ट्रेकिंग	70	700
8	बोटिंग डेक	कुल 3	3
9	दृष्यबंध रेस्टारेण्ट, सूर्यास्त पाइंट		3
10	यात्री केन्द्र	1259 वर्ग मीटर	10
11	होटल उन्नयन	7700 वर्ग मीटर	40

एसएसएनएएल ने अपने गांधीनगर स्थित मुख्यालय के माध्यम से संभावित डेवलपर्स (विकासकर्ताओं) को परियोजना सूचना फाईल (पीआइडी) क्रय करने हेतु आमंत्रित किया। बाद में उन्हें केवड़िया बांध स्थल पर तीन दिन के भ्रमण हेतु ले जाया गया। (इण्डियन एक्सप्रेस, 27 अगस्त 2004) इससे निजी निवेशकों में रुचि जागृत हुई। बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी (बीएसईएल) ने इस भावी परियोजना हेतु बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए कारपोरेट नोटिस में लिखा था, ''कम्पनी ने केवड़िया, गुजरात में 2500 एकड़ से ज्यादा फैले क्षेत्र में अधिसंरचना स्वर्ग निर्माण का निश्चय किया है। यह परियोजना एक पर्यटन सुविधा होगी और वह सब कुछ उपलब्ध करवाएगी जिसकी पर्यटक को आवश्यकता होती है। विकास के अंतर्गत की गतिविधियां कृषि से मंदिर तक, स्वास्थ्य केंद्र से रेस्टारेण्ट तक एवं डिस्को आदि के अतिरिक्त रहवासी व वाणिज्यिक काम्पलेक्स तक को अपने में समेटे हुए होंगी। इस परियोजना में इसके अतिरिक्त आवासीय विद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग विद्यालय, होटलें, रिसोर्ट्स, क्लब हाउसेस, पारिवारिक मनोरंजन केन्द्र, बोटेनिकल गार्डन, वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं आदि भी होंगी। इस परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा।''[5]

एक ब्रिटिश अनिवासी भारतीय ने केवड़िया कॉलोनी के आसपास स्थित हरियाली भरे वातावरण को ध्यान में रखते हुए ''लेक डिस्ट्रिक्ट ट्रेन''

[5] स्त्रोत, बीएसई, बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी लि, द्वारा सिरशेन्दु बसु 07.02.08

प्रारंभ करने के प्रस्ताव में रुचि दिखाई थी। (टाइम्स ऑफ इण्डिया 13 जनवरी 2005) किंग्सबरी लंदन के राजन पटेल ने केवड़िया के चारों ओर 22 कि.मी. की रेल लाइन डालकर ''हल्की रेल सुविधाएं'' विकसित करने का प्रस्ताव किया था। वे इस प्रस्ताव को दो भारतीय प्रवर्तकों श्रीनाथ ट्रेवल्स और शिवम ट्रेवल्स की मदद से पूरा करना चाहते थे। पटेल का कहना था, ''मैंने गुजरात सरकार के साथ विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने हेतु सहमति पत्र (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अंतर्गत होटल, फूड मार्ट और यातायात सम्मिलित हैं। रेल इसका प्रथम चरण है।'' पटेल चाहते थे कि उन्हें भूमि का कब्जा 50 वर्षों के लिए मिले, जबकि वर्तमान कानून उन्हें सिर्फ 35 वर्ष की लीज और मनोरंजन व बिक्री कर में छूट की अनुमति ही देता है। उन्हें संपूर्ण परियोजना के एक दशक में पूरी होने की उम्मीद है।परंतु अब ऐसा लगने लगा है कि योजना में परिवर्तन कर दिया गया है। इस वर्ष के प्रारंभ (31 जनवरी 2007) में बिजनेस स्टेंडर्ड से बात करते हुए एसएसएनएनएल के कार्यपालन यंत्री (पर्यटन) श्री आर.वी.गज्जर ने कहा कि, ''परियोजना का मास्टर प्लान बड़ौदा नगरीय विकास प्राधिकरण (बीयूडीए) के मुख्य नगर नियोजक एवं गांधीनगर के मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किया गया है। बीयूडीए और इसके कार्यपालन अभियंताओं ने नोडल एजेन्सी के समक्ष अंतिम प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। जिसके जल्दी ही स्वीकृत होने की संभावना है।'' एसएसएनएनएल में नवगठित पर्यटन सेल ने योजना में परिवर्तन पर ही नहीं इस पूरे मास्टर प्लान पर ही चुप्पी साध रखी है। इतना ही नहीं न तो वे बोली लगाने की प्रक्रिया से संबंधी जानकारी उजागर कर रहे हैं न ही वे संभावित निजी डेवलपर्स के नामों का खुलासा कर रहे हैं। इस संबंध में नवीनतम जानकारियां इसलिए भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ऐसे मसले सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आते। सीईपीटी के नगरीय विकास विभाग की अभिलेख एवं विकास इकाई एवं केवड़िया पर्यटन मास्टर प्लान के परियोजना समन्वयक श्री पी. व्ही.के. रामेश्वर जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एसएसएनएनएल को प्रस्तुत कर दी है, संबंधित जानकारियों को यह कहते हुए उजागर नहीं कर रहे हैं कि इससे ''समझौते का उल्लंघन'' होगा। श्री रामेश्वर के अनुसार एसएसएनएनएल द्वारा सौंपा गया संक्षिप्त डिजाइन, परियोजना क्षेत्र का सौंदर्यीकरण वृन्दावन गार्डन की तर्ज पर करने भर को था। इस परियोजना का प्रारूप मिट्टी के प्रकार, भूमि की उपलब्धता, जलविज्ञान, प्रबंधन एवं वित्तीय प्रबंधन आदि पैमानो को आधार बना कर तैयार किया गया है। इसी के साथ भूमि उपयुक्तता अथवा अनुकूलता मानचित्र का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि यहां क्या निर्माण योग्य है और क्या निर्माण योग्य नहीं है। क्योंकि पर्यटन परियोजना हेतु आवश्यक संपूर्ण भूमि का स्वामित्व एसएसएनएनएल का है अतएव सार्वजनिक निजी साझेदारी का मानक (माडल) भी प्रस्तावित किया गया है।

सीईपीटी के मास्टर प्लान में प्रस्ताव किया गया है कि परियोजना का आरंभ अविवादित भूमि से किया जाए और छः गांवों के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए। प्रारूप में इस क्षेत्र में फूलों की खेती और वनोपज को ध्यान में रखते हुए उद्योग शब्द की पुनर्व्याख्या की ओर भी इशारा किया गया है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य, सुरक्षित वन, टेन्ट और केंपिंग ग्राउण्ड्स को भी प्रारूप में सम्मिलित किए जाने की वकालत की गई है। अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री रामेश्वर का कहना था, ''अगर प्रकृति नहीं होगी तो पर्यटन भी नहीं होगा और पर्यटन नहीं होगा तो धन भी नहीं होगा।'' सीईपीटी बड़े स्तर पर विकास के साथ ही साथ एक ही विकासकर्ता (डेवलपर) को कार्य देने के भी विरोध में थी। मास्टर प्लान में एक निगरानी समिति का भी प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्टर प्लान में स्थानीय निवासियों को भी भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित किया गया था। इसी दस्तावेज में सीईपीटी ने इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट अधिसूचित विकास प्राधिकरण के गठन पर भी जोर दिया था।

प्रारूप योजना को प्रस्तुत करने के बाद सीईपीटी के दल ने इस संबंध में आयोजित दो बैठकों में भी हिस्सा लिया। श्री रामेश्वर ने एसएसएनएनएल के अधिकारियों को सूचित किया था कि वे उन्हें जोड़े रखें जिससे कि उनकी टीम मास्टर प्लान के स्वीकृत होने और क्रियान्वयन की मंजूरी मिलने के बाद भी कोई भूमिका निभा सके। इस बात को दो वर्ष बीत चुके हैं परंतु एस एस एन एन एल ने इस मसले पर सीईपीटी से अभी तक संपर्क ही नहीं साधा है।

इस मसले पर जब हमने एसएसएनएनएल के अध्यक्ष श्री पी.के.लाहिरी के विचार जानने का प्रयास किया तो केवड़िया की ''गाथा'' में नया मोड़ आ गया। उनका कहना था कि सीईपीटी से मात्र प्रारूप परियोजना बनाने को कहा गया था। यह एसएसएनएनएल पर है कि दिए गए सुझावों को स्वीकार करे या अस्वीकार। उन्होंने बताया कि, ''हम सीईपीटी के प्रारूप एवं प्राप्त अन्य सुझावों और टिप्पणियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़े हैं। अब वडोदरा (बड़ौदा) व गांधीनगर के नगर नियोजक मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे रहे हैं।''

श्री लाहिरी के अनुसार परियोजना का लक्ष्य केवड़िया और आसपास के क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास है और इसे जन परियोजना की तरह विकसित किया जाएगा। यह परियोजना व्यावहारिक, सुरक्षित, आरामदायक व ज्ञानवर्धक होगी। ''परियोजना क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात पर्यटकों को ढेर सारी जानकारियों एवं खुशनुमा स्मृतियों के साथ लौटना चाहिए।'' इस परियोजना की आर्थिक व्यावहारिकता इस बात पर निर्भर है कि केवड़िया स्थित सरदार सरोवर बांध निर्माण स्थल पर प्रतिवर्ष कम से कम 20 लाख पर्यटकों की आमद हो।

इस दौरान कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। जैसे सीईपीटी की योजना का क्या हुआ?उसे क्यों कूढ़े के ढेर में फेंक दिया गया?29 नवम्बर 2006 को टेंडर की जो प्रक्रिया प्रस्ताव हेतु प्रार्थना (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) के माध्यम से प्रारंभ हुई थी, उसे बार–बार आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है?

यह कैसे संभव है कि एसएसएनएनएल उस भूमि पर निजी निवेशको से बोली/टेण्डर बुला सकती है जिसका अधिग्रहण सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया गया हो? अथवा एसएसएनएनएल ने क्या इस संभावित कानूनी पेंच का कोई तोड़ ढूंढ लिया है?

गाथा का परत दर परत खुलना : केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण

बहुत कम व्यक्तियों को इस बात की जानकारी है कि गुजरात सरकार के नगरीय विकास एवं नगरीय आवास विभाग ने 29.01.2005 को जारी अधिसूचना क्रमांक जीएच/वी/112–2005–यूडीए 112004–8027 V के माध्यम से केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण (केवड़िया एरिया डेवलपमेंट अथारिटी अथवा के.ए.डी.ए.) का गठन कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद जहां केएडीए, एसएसएनएनएल के स्वामित्व वाली भूमि का एकमात्र प्रशासक व निर्णायक हो गया है वहीं 27 दिसम्बर 2006 को जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार केएडीए के सदस्यों की नियुक्ति के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका नियंत्रण एसएसएनएनएल के हाथों में ही रहे। अधिसूचना क्रमांक जीएच/V/324आफ2006/यूडीए –112004–8027 V के द्वारा प्राधिकरण के नौ सदस्यों की नियुक्ति एसएसएनएनएल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इसके अन्य सदस्य हैं मुख्य नगर नियोजक, गुजरात राज्य पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक, आयुक्त, सरदार सरोवर पुनर्वास एजेन्सी, अध्यक्ष, नर्मदा जिला पंचायत, सरपंच, लिमड़ी एवं गोरा ग्राम पंचायत, अनूप दवे, अहमदाबाद एवं प्रशासक, केवड़िया कॉलोनी। इससे यह प्रतीत होता है कि एसएसएनएनएल ने चतुराईपूर्वक यह प्रबंधन कर लिया है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में विवाद होने पर ठीकरा केएडीए के सिर पर फोड़ा जा सके, जबकि अध्यक्ष होने के नाते इस पूरे क्षेत्र पर उसका संपूर्ण कब्जा कायम रहे।

इस बीच केएडीए द्वारा जनवरी 2005 में केवड़िया, वाघोड़िया, लिमड़ी, कोठी और नवागाम गांवों के निवासियों को उनकी भूमि और मकानों से बेदखल करने की अपनी धमकियों की पुनः घोषणा कर दी गई। ग्रामवासियों को नगण्य सा मुआवजा लेकर स्थान छोड़ने को कहा गया और ऐसा न करने पर उन्हें बेदखल व बलात् बाहर कर दिए जाने की धमकी भी दी गई। 5 मई 2005 को केवड़िया में नटवरभाई भाईजी ताडवी और चन्दूभाई मगनभाई ताडवी के स्वामित्व के दो मकानो को

दिन–दहाड़े बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस घर का प्रयोग छोटी दुकान के रूप में भी किया जाता था जो कि सरदार सरोवर में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं श्रमिकों की सेवा में रत थी। यह दुकान उस भूमि पर बनी हुई थी जो किसी समय नटवरभाई की थी। ये दोनों केवड़िया के मूल निवासी थे जिन्हें 1961 में ही तब नोटिस दे दिया गया जब उनकी भूमि, खड़ी फसल के साथ अधिग्रहित कर ली गई थी। एसएसएनएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पी.के.लाहिरी के अनुसार, ''केएडीए के अंतर्गत नर्मदा नदी के दाहिनी ओर के 11 गांव और बायीं ओर के 5 गांव आते हैं।''[6] उनके अनुसार केएडीए के गठन का विचार जिले में सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) परियोजनाओं से प्रभावित 16 गांवों को अधिसंरचनात्मक सुविधाएं एवं रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही साथ इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है।

एसएसएनएनएल अधिकारियों ने अप्रैल 2008 तक केएडीए का कार्यालय स्थापित हो जाने की उम्मीद जताई है। वहीं राज्य के नगरीय विकास प्राधिकरण ने गांवों के सर्वेक्षण के लिए करीब 25 लाख की धनराशि का आबंटन किया है।[7] इस इलाके में पर्यटन की असीम संभावनाओं को इंगित करते हुए लाहिरी ने कहा कि, ''यह इलाका राजपिपला से जुड़ा हुआ है जो कि वर्तमान में आंचलिक फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा स्थल बन चुका है।''

हालांकि श्री लाहरी ने यह स्वीकार किया कि बोली की प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर स्थगित किया है परंतु उन्होंने तुरंत इस बात की ओर इशारा किया कि सब कुछ 2007 के अंत तक सही रास्ते पर आ जाएगा। अध्यक्ष ने उन निजी डेवलपर्स के नाम उजागर करने से इंकार कर दिया जिन्हें एसएसएनएनएल ने छांटा है। परंतु केवड़िया में व्यक्तियों की जुबान पर मुम्बई स्थित भवन निर्माण कंपनी बीएसईएल का नाम है जो कि केवड़िया को बड़ौदा से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर एक आलीशान होटल 'नर्मदा निहार' का पहले से ही निर्माण कर रही है।

[6] देखिए केवड़िया के आदिवासियों हेतु शहरी रंगीनियां – दि इण्डियन एक्सप्रेस 12 जनवरी 08

[7] वही

नर्मदा निहार

कुल भूमि – 6,03,000 स्के.फीट
द्विस्तरीय विकास रूपरेखा – व्यावसायिक एवं रहवासी
व्यावसायिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित हैं, बिक्री के संस्थान (शॉपिंग), मनोरंजन व रेस्टॉरेंट।
परियोजना की कुल लागत – 25 करोड़ रु.
परियोजना से राजस्व प्राप्ति – 50 करोड़ रु.
कार्य प्रारंभ – जून 2006 एवं पूर्णता जून 2007

कम्पनी ने यहां रहवासी अपार्टमेण्ट, खर्चीली होटल सुविधा एवं मनोरंजन सुविधा युक्त खुदरा व खाद्य सामग्री सुविधाओं का प्रावधान भी किया है। इस सुविधा में लेण्ड स्केपिंग, सामुदायिक भोजन गृह, आंतरिक खेल (इन्डोर गेम्स), बाहरी खेल (आउटडोर गेम्स) स्वीमिंग पूल, जिम्नेशियम, बच्चों के खेलने का स्थान, शिल्प बाजार, पारम्परिक वस्तुओं की दुकानें, कार पार्क, डिश एन्टेना आदि अनेक सेवाओं का प्रावधान किया गया है।[8]

बीएसईएल : कंपनी की जानकारी (बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी लि. (बीएसईआईएनएफ) मंगलवार 12 फरवरी 2008 भारतीय समयानुसार 17:12, सिरशेन्दु बसु
http//www.content.icicidirect.com/pickofweek.asp?id=246

बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी लि (बीएसईएल) का गठन 1995 में ''बेल साउथ इन्टरप्राइजेस लि.'' के रूप में किया गया था। इसे अगले ही साल सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया था। चूँकि कम्पनी आईटी से संबंधित अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही थी अतएव 1998 में कम्पनी का नाम बदलकर बीएसईएल इन्फारमेशन रीअलिटी सिस्टम कर दिया गया। खुले बाजार के उभरने, भारत सरकार की उदारवादी नीतियों, अधिसंरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि और निवेशकों द्वारा नए विकास में भागीदारी कर लाभ कमाने की इच्छा ने बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी ने अधिसंरचना विकास को अपनी व्यावसायिक गतिविधि के रूप में अंगीकार करने को प्रेरित किया।

मुख्य परियोजनाएं :
बीएसईएल टेक्निकल पार्क, वाशी नवी मुम्बई, महाराष्ट्र
इन्टरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र
केवड़िया परियोजना – गुजरात
पामबीच पेराडाईस – नेरुल गोल्फकोर्स, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र

[8] वही

बांध स्थल और इसके आसपास के इलाके में जबरदस्त पर्यटन संभावनाओं को पहचानते हुए सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) और गुजरात सरकार ने अगस्त 2004 में निचले हिस्से की 1400 एकड़ भूमि हेतु रुचि की अभिव्यक्ति हेतु निविदा (ईओआई) जारी की।

बीएसईएल ने उपरोक्त उल्लेखित केवड़िया स्थित विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधा के विकास में अपनी रुचि प्रकट की। उत्पाद जानकारी प्रपत्र एवं एसएसएनएनएल द्वारा सकारात्मक जवाब मिलने के कुछ ही समय पश्चात् निविदा (टेण्डर) की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। कम्पनी ने एसएसएनएनएल व गुजरात सरकार द्वारा केवड़िया में प्रारंभ की जाने वाली इस परियोजना में बहुत आक्रामकता से भागीदारी की तैयारी है। इस परियोजना के अंतर्गत रहवासी विद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग विद्यालय, होटल, रिसोर्ट, क्लब हाउस, पारिवारिक मनोरंजन केंद्र, बॉटेनिकल गार्डन, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों आदि का भी प्रावधान है। भविष्य में अनेक आकर्षक परियोजनाओं के प्रारंभ होने की संभावना के चलते वर्ष 2005–06 कंपनी को एक मजबूत आधारभूत संरचना निर्माण कम्पनी के रूप में स्थापित होने में मददगार सिद्ध हुआ है।

18 जून 2006 को मुम्बई स्थित बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी लि. (बीएसईएल) को ''नर्मदा निहार'' नामक विलासिता होटल बनाने के लिए केवड़िया गांव स्थित 6 हेक्टेयर भूमि सौंप दी गई। यह भूमि उसे 1 करोड़ 30 लाख रु. में 30 साल की लीज पर दी गई थी। 10 जून 2006 को केवड़िया कॉलोनी प्रशासन के अधिकारी विशाल पुलिस फोर्स के साथ पीढ़ियों से इस भूमि पर रह रहे आधा दर्जन आदिवासी परिवारों को बलपूर्वक हटा कर कंपनी द्वारा होटल निर्माण का रास्ता साफ करने हेतु पहुंचे। गांववालों ने प्रतिरोध किया और उनकी मदद हेतु पास के गांवों के रहवासी भी पहुंच गए। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर घबराकर अधिकारी इस कार्य को अमली जामा तो नहीं पहना सके परंतु उन्होंने परिवारों से कहा कि वे समय रहते स्वमेव इस भूमि को खाली कर दें क्योंकि उनकी यह भूमि बहुत पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।

अपेक्षित भूमि को चरणबद्ध तरीके से आधिपत्य में लेने का प्रयास सरकारी कब्जे वाली भूमि से प्रारंभ किया गया। भूमि के इस हिस्से पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), एक माध्यमिक सरकारी विद्यालय जिसमें छात्रावास की सुविधा भी थी, सरकारी अधिकारियों के क्वाटर्स और कुछ कृषि भूमि थी। आईटीआई, विद्यालय और कर्मचारियों के निवास तोड़ दिए गए और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस

प्रक्रिया में शांतीलाल भाई का घर और आसपास की भूमि निर्माण स्थल से घिर गई। वे अभी भी वहीं रह रहे हैं और बीएसईएल ने उन्हें मकान बनाकर देने का वादा किया है। परन्तु गांववालों को अभी भी बाकी बची हुई वह भूमि खाली करना है जिसकी इस निर्माण हेतु आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के जारी होने के समय तक गांव के निवासी भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस विरोध की तरफ अब तक

संवैधानिक अधिकारों की बर्खास्तगी : स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थिति और अधिकार

दिसम्बर 2006 में केवड़िया विकास प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व केवड़िया कॉलोनी, गुजरात पंचायती राज अधिनियम 1993 के क्षेत्राधिकार में आती थी। एक सार्वजनिक दस्तावेज में दी गई जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर 1997 को नर्मदा जिले को भड़ूच से अलग कर कुछ अन्य जिलों के साथ नया जिला बनाया गया।[9] पूर्व में भड़ूच जिले का हिस्सा रहा नान्डोड तालुका अब नर्मदा जिले का हिस्सा बन गया है, केवड़िया कॉलोनी नर्मदा जिले के नान्डोड तालुका के अंतर्गत ही आती है। नान्डोड 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित क्षेत्र है।[10] अतएव केवड़िया कॉलोनी भी 5वीं अनुसूची में आती है जहां पर पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार भारतीय संविधान 5वीं अनुसूची के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें स्वशासन का अधिकार देता है।

भारतीय संविधान, 5वीं अनुसूची और पेसा के माध्यम से न केवल उनकी क्षेत्रीय सार्वभौमिकता के अधिकार को पुनर्स्थापित करता है बल्कि उन्हें यह अधिकार भी देता है कि वे विकास का अपना पथ स्वयं तय कर सकते हैं (भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची)। यह आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों और कारपोरेट को हस्तांतरण का भी निषेध करता है। अपने 73वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान ने आदिवासी क्षेत्रों में वास्तविक स्वशासन हेतु एक पृथक व प्रगतिशील कानूनी व प्रशासनिक राह बनाई है। यह कार्य पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 को लागू करके किया गया है।[11]

[9] खेड़ा से अलग कर आणंद जिला, पंचमहाल से अलग कर दाहोद जिला, वलसाड से अलग कर नवसार जिला एवं जूनागढ़ से पृथक कर पोरबंदर जिले का निर्माण किया गया है। http://www.answers.yahoo.com/question/?qid+20061009005243AAnAPHO

[10] देखिए गुजरात में अधिसूचित क्षेत्र http://www.trible.nic.in/gujratscareas.html

[11] पूरे कानून के लिए देखिए http://ncscst.nic.in/panchayat.html

पेसा एक ऐसा परिपूर्ण व प्रभावशाली कानून है जिसके माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को सशक्त कर उन्हें ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उठने वाले मुद्दों का निपटारा स्वयं कर सकें। पेसा के माध्यम से यह प्रयत्न भी किया गया है प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण किया जाए एवं सामाजिक प्रतिबद्धता के कई कार्य जिसमें कि आपसी विवादों का निपटारा भी शामिल है, को विद्यमान परम्पराओं व रीति रिवाजों के माध्यम से ही निपटाया जाए। यह कहा जा सकता है कि आजाद भारत में संभवतः ''पारम्परिक कानून'', ''समुदाय के संसाधन'', ''गांव एक समुदाय के रूप में'', ''गांव के व्यक्ति ही अपनी परम्परा व रीति रिवाज की रक्षा कर सकते हैं'' जैसे अनेक मसलों पर अन्य कोई कानून इतने अर्थपूर्ण तरीके से बात नहीं करता है।[12]

पेसा के अंतर्गत ग्रामसभा योजनाओं की स्वीकृति, सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु हितग्रहियों की पहचान, ग्राम पंचायतों द्वारा कोष के इस्तेमाल को प्रमाणित करने, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा जिसमें लघु वनोपज उत्पाद एवं भूमि अधिग्रहण से पूर्व विमर्श भी शामिल हैं, हेतु अधिकृत है। कुछ राज्यों ने ग्रामसभाओं को स्थायी समिति के माध्यम से अधिकार प्रदान कर पेसा क्षेत्रों में भी आदर्श प्रतिस्पर्धा उपलब्ध करवाई है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो) की सन् 2000 की एक विज्ञप्ति के अनुसार पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) 24 दिसम्बर 1996 से प्रभावशील हो गया है। यह अधिनियम भारत के आठ राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान की पंचायतों में इस विचार के साथ लागू किया गया है कि इससे आदिवासी समुदाय अपनी नियति पर स्वयं नियंत्रण रख सकेंगे और प्राकृतिक संसाधनों पर पारम्परिक अधिकारों का वे स्वयं पोषण व संरक्षण कर सकेंगें। राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य का कानून एक वर्ष के भीतर अर्थात 23 दिसम्बर 1997 तक अवश्य बना लें। बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने इस कानून के प्रावधानों के अनुरूप स्वयं के कानून का निर्माण कर लिया है।[13] गुजरात में पेसा के प्रावधान 1998 में, गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम 1998 के लागू होने के बाद से व्यवहार में आने लगे थे। इस कानून के प्रभावशील होने के बाद गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 में कुछ परिवर्तनों के साथ राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होकर लागू हो गया है। यह कानून गुजरात राज्य के 7 जिलों के 33 तालुकाओं के 5055 गांवों में लागू है।[14]

[12] पेसा का क्रियान्वयन, पीआरआईए, नई दिल्ली, संकलन आलोक श्रीवास्तव। संपर्क सूत्र एवं अतिरिक्त शोध – हेप्पी पंत, शोध अधिकारी, 23 दिसम्बर 2005

[13] पंचायती राज संस्थान (तथ्य, 19 जून 2008) http://pib.myiris.com/features/fartical.php3?fl=000619161635

[14] देखें परिशिष्ट ।।

गुजरात में पेसा के अंतर्गत जिन विशिष्ट कार्यों के लिए मात्र ग्रामसभाओं को ही अधिकृत किया है वे हैं :

- गांव के विकास की किसी भी योजना, परियोजना या कार्यक्रम को स्वीकृति देना ;
- गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्रहियों का चयन ;
- पंचायतों द्वारा खर्च किए गए धन का उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करना ;

विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में इसी तरह के विमर्श संबंधी अधिकार तालुका पंचायतों को भी दिए गए हैं। निम्न कार्यवाहियों के पूर्व तालुका पंचायतों से परामर्श करना अनिवार्य है,

- तालुका में स्थित किसी भूमि को विकास कार्यों हेतु अधिग्रहित करने हेतु ;
- इस तरह की परियोजना द्वारा बेदखल किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास

इसके अलावा पूर्व में इस संबंध में दिया गया ऐतिहासिक समथा निर्णय भी लागू होगा।[15] यह ऐतिहासिक निर्णय एक विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) पर सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 1997 में दिया था और इसके अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि सरकार भी एक ''व्यक्ति'' है और अधिसूचित क्षेत्र में निजी खनन कंपनियों को लीज पर किया गया भूमि आबंटन निष्प्रभावी और अमान्य है। इस कार्यवाही से भारत के 8 करोड़ आदिवासियों के बहुत ही गंभीर आर्थिक व सांस्कृतिक निहितार्थ सामने आएगें। इस निर्णय के आधार पर एसएसएनएनएल भी वैधानिक तौर पर एक ''व्यक्ति'' ही है। जो पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक अधिसंरचना के विकास हेतु किसी भी निजी संस्थान को अनुसूची 5 के अंतर्गत की केवड़िया कालोनी की भूमि लीज पर नहीं दे सकता। विभिन्न राज्यों में पेसा के क्रियान्वयन का अध्ययन कर रहे विशेषज्ञों का मत है कि गुजरात राज्य ने जिस तरह से पेसा को लागू किया है, वह केन्द्रीय पेसा कानून की भावना से पूर्णतया खिलवाड़ है। क्योंकि इसके अंतर्गत अधिकारों को बहुस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को दे दिया गया है और ग्राम सभा को इन अधिकारों की परिधि से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय विधान के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, सामाजिक व आर्थिक

[15] समथा, आंध्रप्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी भूमि को निजी खनन कंपनियों को आबंटित किए जाने के विरोध में मुकदमा दायर किया था।

विकास, आदिवासियों को शोषणवादी साहूकारी और बाजार प्रणाली से बचाने में ग्रामसभाओं की निर्णायक भूमिका है। ग्रामसभाओं को इन अधिकारों के प्रयोग से रोकना उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अधिकारों की अवहेलना : पेसा के अंतर्गत की स्थानीय स्वशासी संस्थानों को दिए गए अधिकारों को केविड़या क्षेत्र विकास प्राधिकरण (केएडीए) को हस्तांतरित करना।

इस संबंध में हमारे मुख्य बिंदु हैं :

- इस प्रकार केएडीए स्थानीय स्वशासी संस्थानों को भारतीय संविधान के 73 व 74वें संशोधन और क्षेत्र में पेसा के विस्तार से संबंधित प्रदत्त उनके अधिकारों को हड़प रहा है।[16] जैसा कि इस रिपोर्ट के पिछले भाग में बताया गया था कि केएडीए (काडा) का आदेश साफतौर पर गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम 1998 के अंतर्गत दिए गए उन संवेधानिक आदेशों और प्रावधानों की अनदेखी करता है जिसके अंतर्गत गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है।

वैसे केएडीके के अंतर्गत घोषित अधिसूचित क्षेत्र शब्दांडम्बर ही है। केएडीए का पूरा ध्यान मूलतः पर्यटन क्षेत्र के लिए बाजार तैयार करना (मार्केटिंग), प्रोत्साहन, निवेश और अधिसंरचना के विकास पर है।

- यह व्यक्तियों के रहवासी क्षेत्र को पर्यटन स्थलों में परिवर्तित किये जाने वाले मॉडल को प्रचारित करता है।
- केएडीए ने गुजरात पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित इन इलाकों में स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा पहले तैयार की गई विकास प्रारूप की सामान्य विकास प्रक्रिया को एक विशेष मास्टर प्लान के माध्यम से पर्यटन केन्द्रित विकास को प्राथमिकता व विशेषाधिकार प्रदान करने वाली प्रक्रिया में बदल डाला है।

इस प्रक्रिया से संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विकेन्द्रित सत्ता संचालन की पद्धति की भावना

[16] देखिए संलग्न परिशिष्ट की तालिका 1 एवं 2।

तालिका 1 : 73वें व 74वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पर्यटन संबंधी मसलों अर्थात पर्यटन उद्योग की आकांक्षाओं के संबंध में पंचायतों व नगरपालिकाओं के अधिकार व जिम्मेदारियां।

तालिका 2 : गुजरात पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत पर्यटन संबंध मसलों पर गुजरात स्थित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार व जिम्मेदारी।

पटरी से नीचे उतर गई है। यह इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित उन पंचायतों के अधिकारों को हड़पना भी है जिनके बारे में गुजरात सरकार सोचती है कि ये क्षेत्र पर्यटन विस्तार के लिहाज से लाभकारी होंगे। यह एक चौका देने वाली प्रक्रिया है जो कि पानी और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों, जिस पर पर्यटन उद्योग अत्यधिक निर्भर है, के संबंध में निर्णय लेने की अधिनायकवादी (केन्द्रीकृत) प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। इतना ही नहीं यह प्रक्रिया पर्यटन संभावित क्षेत्र में पर्यटन मास्टर प्लान के माध्यम से क्षेत्र की सामान्य विकास योजनाओं की पर्यटन विकास परियोजनाओं से अदला बदली और प्राथमिकता से जुड़ गई है। इसके परिणामस्वरूप केएडीए जैसे विकास प्राधिकरणों को इस बात की छूट मिल गई है कि वे उन अन्य विभागों के निर्णयों की अवहेलना कर सकें, जिनका मूल उद्देश्य इस इलाके का संपूर्ण विकास है। समय–समय पर सिविल सोसाईटी ने यह सवाल उठाया है कि ग्रामस्तरीय कोई भी परियोजना क्या बिना ग्रामसभा की अनुमति के बनाई जा सकती है और स्वीकृत की जा सकती है?ऐसी सभी परियोजनाएं खासकर जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और अनुसूची V के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में निर्मित की जानी हैं और जो ग्रामसभा की स्वीकृति नहीं लेती पूर्णतया असंवेधानिक हैं। अतएव शासन की नीति में किसी भी परिवर्तन से पूर्व स्थानीय व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधियों से सघन व सारगर्भित परामर्श और बहस होना आवश्यक है।

प्रश्न उठता है कि राज्य योजना आयोग जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह राज्य में मौजूद प्रत्येक संसाधन का आकलन करे, घटते संसाधनों में वृद्धि का ध्यान रखे और संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावशाली व संतुलित प्रयोग की योजना बनाए, तो क्या वह संस्थान किसी क्षेत्र के लिए ऐसी योजना बना सकता है जो संविधान द्वारा इस देश के नागरिकों को प्रदत्त विकेन्द्रीयकरण (शासन के) की मूल भावना के विरुद्ध हो?प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य विकास योजनाओं (स्थानीय नगरीय व ग्रामीण विकास कानून के अंतर्गत निर्मित सामान्य मास्टर प्लान) को अधिकार हड़पने का आधार बनाकर, पर्यटन केंद्रित विकास के ऐसे मॉडल को प्राथमिकता व गति प्रदान की जा सकती है जो कि स्थानीय समुदायों के लिए न तो टिकाऊ हो और न ही लाभदायक?

एलएसजीआई (स्थानीय स्वशासी इकाईयां) से अधिकारों को छीनकर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरित करने का उद्देश्य है, उस उपनिवेशकालीन मानसिकता को पुर्नस्थापित करना कि स्थानीय निवासी अवसर का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। विकेन्द्रीकरण के इतिहास और स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिकारों के हस्तांतरण के पश्चात उठाया गया ऐसा कोई भी कदम प्रतिगामी ही दिखाई पड़ता है।

पर्यटन विकास योजनाओं को सामान्यतौर से साफ–सुथरा, हरियाली फैलाने वाला एवं रोजगार सृजन करने वाला बताया जाता है। परन्तु इन योजनाओं के द्वारा किस तरह व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के प्रतिकूल प्रभाव, उनकी जीविका, संसाधनों पर उनकी पहुंच और सामाजिक ताने बाने के साथ ही साथ विस्थापन के रूप में पड़ते हैं, उससे संबंधित सच्चाई अभी बहुत उजागर नहीं हुई है। ''ईको पर्यटन'', ''समुद्रतट पर्यटन'', ''वन्यजीव पर्यटन'', ''साहसी खेल पर्यटन'' आदि नाना प्रकार के पर्यटन पैकेजों के माध्यम से प्रचलित यह पर्यटन मूल निवासियों, मछुआरा समुदाय और सामान्य व्यक्तियों को उनकी पैतृक बसाहटों से निष्कासन के द्वार खोल देता है। भले ही हमें यह प्रतीत होता हो कि पर्यटन गतिविधियों हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती परन्तु इसमें सत्यता नहीं है। गोराई मनोरी में पर्यटन और मनोरंजन के लिए बनाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हेतु 1000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलगांव विशेष पर्यटन क्षेत्र हेतु (एसटीजेड) हेतु 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और हरियाणा सरकार को गुड़गांव में प्रस्तावित विशेष पर्यटन क्षेत्र हेतु (एसटीजेड) के अंतर्गत ''डिजनीलेण्ड'' की स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता है। हालांकि परियोजना के आकार के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। कुशीनगर (उ.प्र.) स्थित कास्या, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, के विकास एवं बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने वाली लाखों डालर की परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे पर्यटन स्थल हेतु अधिग्रहण की वजह से 600 एकड़ कृषि योग्य भूमि से 700 परिवार विस्थापित होंगें।[17] एसएसएनएनएल द्वारा केवड़िया के निकट पर्यटन की मांग को पूरा किए जाने हेतु ''ईको पर्यटन परियोजना'' को पर्यावरण सुधार का नाम देकर प्रारंभ करने का वर्तमान निर्णय भी इससे कुछ अलग नहीं है। यह परियोजना बांध स्थल के पास के छः गांवों को प्रभावित करेगी। इसके परिणामस्वरूप ऐसे अनेक आदिवासी परिवारों को अपनी कृषि भूमि की हानि झेलनी पड़ेगी जो कि बांध के पहले चरण के निर्माण के दौरान भी विस्थापन झेल चुके हैं। सरदार सरोवर परियोजना जो कि विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर राज्य के असंतुलित रवैये का प्रतीक बन चुकी है, एक बार पुनः पर्यटन विस्तार के नाम पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित करने हेतु तत्पर है। प्रश्न उठता है कि क्या परियोजना में निम्न बातों का ध्यान रखा गया है :–

- साझा संपत्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों तक लोगों की पहुंच और उनके नियंत्रण पर प्रभाव एवं प्रभावित परिवारों के शारीरिक विस्थापन के अलावा उन पर पड़ने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव?

[17] देखिए 'दि बुद्धा वुड नाट हेव वांटेड दिस' ('बुद्ध होते तो ऐसा हर्गिज नहीं चाहते') http:/ www.thesouthasian.org/25 August 2007

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) दोनों अध्ययनों का परियोजना के परिचालन के पूर्व पूर्ण हो जाना।
- ईआईए और एसआईए की रिपोर्टों के परीक्षण हेतु एक बहुविध विशेषज्ञ समूह का गठन हो।
- ईआईए और एसआईए के परीक्षण हेतु गठित स्वतंत्र बहुविध विशेषज्ञ समूह में स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए।
- ईआईए रिपोर्ट के अलावा एस आई ए को भी यथोचित सम्मान दिया जाए। अगर एसआईए रिपोर्ट नकारात्मक प्रभावों की ओर इशारा करे तो अधिग्रहण और संबंधित अन्य परियोजनाओं को रोक देना चाहिए।

इक्वेशन्स ने राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन नीति 2006 के प्रारूप एवं हाल ही पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन अधिनियम 2007 के मसौदे पर अपनी समीक्षा में यह दोहराया है कि सरकारें ऐसी परियोजनाओं जिनमें खासकर पर्यटन संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं, की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं जहां पर इनके स्पष्ट भौतिक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जबकि इन परियोजनाओं के जबरदस्त अप्रत्यक्ष अथवा सहायक प्रभाव हैं। हम उदाहरण के लिए गोवा को लेते हैं, यहां के समुद्र तट पर सितारा श्रेणी के कई होटल व रिसोर्ट जैसे बोगोमालो बीच रिसोर्ट, हॉलीडे इन रिसोर्ट, मोबोर बीच स्थित लीला पैलेस और कालांगुटे बीच पर निर्मित ताज फोर्ट अगुडा रिसोर्ट सहित अनेक होटल निर्मित हो चुके हैं। सितारा श्रेणी के इन रिसोर्टो ने समुद्र तट पर औसतन 20 एकड़ भूमि इस्तेमाल की है। द ताज कोर्ट अगुड़ा रिसोर्ट जो कि पर्यटकों के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है, ने कालांगुटे समुद्रतट पर 73 एकड़ भूमि का प्रयोग किया है। हालांकि इस रिसोर्ट के विकास से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का सीधे–सीधे विस्थापन नहीं हुआ है परन्तु इससे उन व्यक्तियों के समुद्र तट पर जाने में व्यवधान पैदा हुआ है जो अपनी पारम्परिक जीविकोपार्जन हेतु समुद्र तट के आसपास विचरण करते हैं। इस तरह के विकास से मछली मारने पर निर्भर समुदाय और छोटी झोपड़ियों में निवास करने वाले प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने भी इस बात पर जोर दिया है कि विस्थापन, विस्थापितों के शारीरिक विस्थापन से भी आगे की स्थिति है और इससे लोगों की जीविका और उनके जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

कारपोरेट पर्यटन बना ''सार्वजनिक उद्देश्य'' !!

केवड़िया की अधिग्रहित भूमि को बीएसईएल जैसे निजी नियोजक (विकासकर्ता) को हस्तांतरित करना सरदार सरोवर परियोजना के इतिहास से भटकाव की एक गंभीर घटना है। संदर्भित भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा एक बांध के निर्माण हेतु किया गया था। परन्तु अब इसका उपयोग एक होटल के निर्माण हेतु किया जा रहा है जो किसी भी दृष्टिकोण से ''सार्वजनिक उद्देश्य'' नहीं हो सकता। मूलप्रश्न तो यह है कि वास्तव में क्या पर्यटन अपने आप में कोई ''सार्वजनिक उद्देश्य'' है?

गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना हेतु अधिग्रहित किन्तु खाली पड़ी भूमि, जो अब तक उपयोग में नहीं आ रही थी, का एक हिस्सा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है। ये हैं, स्वामीनारायण ट्रस्ट (केवड़िया ग्राम की करीब 10 एकड़ भूमि), शुलपानेश्वर मंदिर ट्रस्ट (गोरा गांव की करीब 10 एकड़ भूमि) एवं वन विभाग (नवागाम गांव की 40 एकड़ भूमि)। राज्य सुरक्षित पुलिस बल का केम्प और कार्यालय भी इसी भूमि पर स्थित है। यह हस्तांतरण पूर्णतया गैर कानूनी है। 1999–2000 में लोगों ने अहमदाबाद स्थित शिकायत निवारण प्राधिकरण (जीआरए) से संपर्क कर परियोजना के लिए अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि जो कि 200 हेक्टेयर से अधिक है, का सरकार द्वारा प्रयोग बजाय परियोजना में करने के अन्य उद्देश्य हेतु परिवर्तित करने के निर्णय पर स्टे ले लिया था। जीआरए ने सन् 2000 में ग्रामवासियों एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह वादा किया था कि वह एसएसएनएनएल एवं सरदार सरोवर पुनर्वसाहट एजेन्सी को इस बात के लिए बाध्य करेगी कि वे इन छः गांवो के निवासियों के पुनर्वास हेतु एक कार्ययोजना विकसित करें। हालांकि तब से अब तक इस दिशा में तो कोई प्रगति नहीं हुई है। परन्तु अनुपयोगी पड़ी भूमि को पर्यटन परियोजना हेतु परिवर्तित करने का कार्य पूरे जोर शोर से जारी है। यह किसी भी दृष्टि से ''सार्वजनिक उद्देश्य'' नहीं है।

इस मामले के प्रकाश में आने के बाद एक बार पुनः इस बात की जबरदस्त आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ''सार्वजनिक उद्देश्य'' को साफ एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए जिससे इसे इसकी व्यापक व्याख्या और दुरुपयोग को रोका जा सके। इसने अपने वर्तमान स्वरूप में (जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 व प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2007 और पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन अधिनियम 2007 के मसौदों में भी) सरकार को भूमि अधिग्रहण का व्यापक लाइसेंस दे दिया गया है। जो समुदाय विस्थापन की त्रासदी को भुगत रहे हैं उनकी लम्बे समय से यह मांग रही है कि ''सार्वजनिक उद्देश्य'' को साफतौर पर परिभाषित किया जाए। भारत सरकार की

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी पुनर्वास व पुनर्नियोजन नीति पर दी गई अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक उद्देश्यों और सार्वजनिक हितों को परिभाषित करने हेतु मानदंडों की पहचान का प्रयास किया है, क्योंकि ये संकल्पनाएं ही विस्थापन को न्यायोचित एवं ''वैधानिक स्वरूप'' प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।[18]

सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु गठित संसदीय समिति ने ''मध्यप्रदेश में बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास'' पर अपनी 59वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह अनुशंसा की है कि, ''आदिवासियों से अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई ऐसी अतिरिक्त भूमि जो कि अभी भी अधिग्रहण प्राधिकारी के पास फालतू पड़ी हो को उसके मूल भू–स्वामी को वापस लौटा दिया जाना चाहिए।'' इस तरह का गैर कानूनी हस्तांतरण व भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक उद्देश्य से संबंधित कानूनी धारा का उल्लंघन है। यह भी संभावना बताई जा रही है कि 2008 के मध्य में गुजरात सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली पर्यटन नीति में निजी विकासकर्ताओं को इससे संबंधित और भी अधिक सहूलियतें दी जा सकती हैं।[19]

इस नई नीति में यह भी प्रस्तावित है कि पर्यटन परियोजनाओं को होटल, रेस्टारेंट और अपार्टमेण्ट होटल इत्यादि के निर्माण हेतु कई लाभ, जिसमें भूमि अधिग्रहण की सुविधा भी शामिल है, उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में बेकार पड़ी सरकारी भूमि को औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रावधान में पर्यटन इकाईयों को भी सम्मिलित

[18] इक्वेशन्स सहित अधिकांश सक्रिय कार्यकर्ता और नागरिक संगठन भी यही मांग कर रहे हैं। देखिए पुनर्वास व पुनर्नियोजन अधिनियम 2007 पर जनवरी 08 में इक्वेशन्स द्वारा की गई समीक्षा।

[19] गुजरात सरकार द्वारा 2008 के मध्य तक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहनों से भरी नई पर्यटन नीति की घोषणा की संभावना है। गुजरात पर्यटन निगम लि. (टीसीजीएल) के एक उच्च अधिकारी ने ट्रेवल बिज मॉनिटर को सूचित किया है कि सरकार एक नई पर्यटन नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि, ''इस नीति को राज्य के बजट सत्र के पूर्व अंतिम रूप दे दिया जाएगा और 2008 के मध्य तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी।'' आधिकारिक रूप से यह भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत सरकार निवेशकों को अनेक प्रोत्साहन भी देगी। अपनी प्रस्तावित नीति के अंतर्गत शासन की योजना है कि पर्यटन और यात्रा उद्योग पर लगने वाले 12.5 प्रतिशत बिक्री कर को घटाकर 4 प्रतिशत पर ले आया जाए एवं इसी के साथ विलासिता कर को समाप्त कर दिया जाए। (देखिए : 'गुजरात सरकार 2008 के मध्य तक नई पर्यटन नीति की घोषणा कर देगी।') इसके अतिरिक्त गुजरात में होटल एवं रिसोर्ट स्थापित करने हेतु होटल निवेश प्रोत्साहन योजना भी प्रस्तुत होगी। इस प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सात वर्षों तक विलासित कर में 100 प्रतिशत की छूट होगी, मनोरंजन कर पर 5 वर्षों तक 50 प्रतिशत छूट मिलेगी और विद्युत आपूर्ति पर लग रहे कर पर 5 से 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत का कर अवकाश होगा। यह छूट इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश किस श्रेणी की होटल (सितारा अथवा गैर सितारा) में किया जा रहा है। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि ऐसे निवेशक जो बजट या सितारा वर्ग के होटल स्थापित करना चाहते हों, को संपत्ति कर पर 15 से 25 प्रतिशत की छूट दी जाए। राज्य सरकार अपने 2008–09 के बजट में पर्यटन के लिए भारी भरकम 350 करोड़ रु. का प्रावधान करने जा रही है। 28 जनवरी 2008
www.travelbizmonitor.com, articladetail.aspx?id=2070(10-02-08)

किए जाने की अनुशंसा की गई है। ऐसे इंतजाम भी किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा।

बडे बांधों के प्रबल समर्थक माने जाने वाले बी.जी. वर्गीस ने भी जून 2006 में ''नर्मदा विस्थापन और आदिवासी'' विषय पर अपने व्याख्यान में कहा था, ''बांध के कारण आदिवासियों खासकर ऊपर की ओर निवास करने वाले भीलों में उत्पन्न हुई आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार को अर्जित संसाधनों का एक हिस्सा इन्हें (भीलों को) आबंटित कर विकासकार्यों हेतु पहल की शुरुआत करना चाहिए।'' (आई.ए.एन.एस, 8 जून 06) परन्तु गुजरात सरकार और एस.एस.एन.एन.एल. दोनों ही ऐसा नहीं सोचते।

गुजरात स्थित पुनर्वास स्थलों के भ्रमण के बाद विस्थापितों से बात करते हुए न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) एस.एम.दाऊद ने टिप्पणी की थी, ''हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि विस्थापन भले ही स्वेच्छा से हो या किसी अन्य वजह से, हर हालत में भावनात्मक चोट तो पहुंचाता ही है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नर्मदा से बेदखल किए गए व्यक्तियों को बहुत त्रासदायी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि भूमि जलाशय, नहरों के निर्माण, कॉलोनी या किसी भी अन्य कारणों से हाथ से गई हो, परन्तु बेदखल किए गए प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना अंदर तक भरी हुई है कि उसे धोखा दिया गया है, लूटा गया है और अपमानित भी किया गया है। नई बसाहटों में नलों से पानी आपूर्ति, बिजली, विद्यालयों और अस्पतालों की तो बात छोड़ ही दीजिए, चलने योग्य साधारण सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। जिन लोगों की भूमि जलाशय की डूब में आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में जो छोटी–सी संपत्ति दी गई है उसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया है कि क्या नई आबंटित भूमि की गुणवत्ता व अन्य सहायक वस्तुएं उनकी पुरानी बसाहट में स्थित वन और नदी के स्तर की हैं।''

न्यायमूर्ति दाऊद ने आगे कहा, ''यह भी ''विचलित करने वाली बात है कि प्रभावित व्यक्तियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध दमन की पूरी छूट दे दी गई है। इसमें संघर्ष से निपटने हेतु अपनाई गई रणनीति के अंतर्गत परेशान करने वाली निगरानी से लेकर सीधे–सीधे गुण्डागिर्दी तक शामिल है। प्रभावित व्यक्तियों को किसी भी समय गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उनके घरों में असमय बल प्रयोग कर घुस जाया जाता है। उनके बच्चों और स्त्रियों से धक्कामुक्की की जाती है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर उन्हें अपमानित किया जाता है। एक योजनाबद्ध तरीके से उन्हें बसों में बैठाकर अलग–अलग जगहों पर ले

जाया जाता है। इसके बाद उन्हें जंगलों अथवा सूनी सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्रभावित व्यक्ति उनसे नजदीकी की वजह से सहानुभुति रखने वालों से भी दूर हो जाए और रसूखदारों की स्थायी शैतानियत का विरोध न कर पाएं।'' (गुजरात से बेदखल हुए व्यक्तियों की नियति, पर्यावरण व मानवाधिकार पर भारत जनट्रिब्युनल, छठी रिपोर्ट – 1994 मुम्बई) केवड़िया, गोरा, लिमड़ी, वाघेरिया, नवाग्राम और कोठी ग्राम समूल नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। निकट भविष्य में न तो कोई केवड़िया, लिमड़ी या गोरा होगा न ही हंसाबेन, शान्तीबाई, धर्मा, लीलाबेन न ही नरसिंग भाई होगें। वहां पर व्यूपाईंट (देखने का स्थान) क्रमांक 1, 2 या 3 तालाब क्रमांक 2, 3, या 4, एक गोल्फकोर्स या वाटर पार्क होगा। हाँ एक आदिवासी संग्रहालय और भद्दा सा बांध होगा, जिसे एसएसएनएनएल बिना यह सोचे समझे संचालित कर रहा होगा कि इस परियोजना पर किस प्रकार के बहुआयामी प्रभाव पड़ेंगे।'

हालांकि ग्रामवासियों का संघर्ष अभी भी जारी है। परन्तु उनके डटे रहने की इच्छा तेजी से कुचली (जवाब न देने वाले अधिकारियों द्वारा) जा रही है। वे पिछले छः महीनों से क्रमिक उपवास पर हैं। स्थानीय समुदायों के अनुसार उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अब तक बातचीत के लिए कोई समय नहीं दिया है। इस लम्बे संघर्ष का उनके जीवन व जीविका पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन व संघर्ष की निरंतरता के पीछे की भावना यह है कि उन्हें ''परियोजना प्रभावित'' की मान्यता मिल जाए जिससे कि वे अधिकारियों से वैसा ही ठीक ठाक सा मुआवजा पैकेज प्राप्त कर सकें जैसा कि डूब प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को मिल रहा है।

केवड़िया – वर्तमान स्थिति

मार्च – 2009

मार्च 2008 में जब यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई थी, उस दौरान केवड़िया के निवासी छः महीनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर थे। एक वर्ष पश्चात जब हम इस रिपोर्ट का पुनर्प्रकाशन करने जा रहे हैं तो इस अवसर पर लाभ उठाकर उन जमीनी हकीकतों पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो पिछले एक वर्ष में घटित हुई हैं। यह आश्चर्यजनक तो नहीं परंतु दुःखद अवश्य है कि स्थितियां पहले के मुकाबले बद्तर हुई हैं जिसके फलस्वरूप स्थानीय समुदायों की मुसीबतों में और भी इजाफा हुआ है।

सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. की पर्यटन योजना में भी परिवर्तन आया है। जहां पहले वे होटलों और कॉटेजों के विकास, रहने की वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार, केंपिंग के स्थान, मनोरंजनस्थल उपलब्ध करवाना जिसके अंतर्गत वाटर पार्क, अवकाश पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, गोल्फकोर्स, पर्यावरणीय पथ, कन्वेंशन सेंटर, आदि की बात करते थे। वहीं अब वे एक ओर तो कमोवेश कम विवादास्पद पर्यटन उत्पाद जैसे रेस्टारेण्ट एवं फूडकोर्ट, कम लागत की रहवासी व्यवस्थाएं, गुलाब के बगीचे, लेण्डस्केपिंग, स्मृति चिन्ह एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री के स्टाल, 50 कमरों वाले होटल की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने द्वीप रेस्टारेंट, रोमांचक खेल जैसे नए उत्पादों की पहचान भी कर ली है। ये सभी नई खोजे एस.एस.एन.एन.एल. की वेबसाईट पर मौजूद हैं जिन्हें पहले चरण में विकसित किया जाना है। परंतु इस बात का कोई भरोसा नहीं दिलाया गया है कि अधिसंरचना एवं संसाधन केंद्रित वाटर पार्क, गोल्फकोर्स और कन्वेशन सेंटर का विकास निकट भविष्य में दूसरे और तीसरे चरण में नहीं किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में अक्सर इसी तरह की रणनीति का सहारा लिया जाता है अर्थात पहले 'कम समस्या वाली गतिविधियों' को आगे करके विकास की अनुमति लेकर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया जाता है। कालान्तर में पर्यटन एवं पर्यटक चाहता है 'के नाम पर' विलासिता पूर्ण/विशाल/अत्यधिक संसाधनों पर निर्भर परियोजनाओं को अपना लिया जाता है जो कि अत्यधिक नुकसानदेह सिद्ध होती हैं। एस.एस.एन.एन.एल. और गुजरात पर्यटन ने अपनी वेबसाईट[1] पर आधुनिक कमरे एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर, टेण्ट नगर हेतु स्थान, ट्रेकिंग के स्थान, जंगल भ्रमण जैसे विभिन्न 'पर्यटन उत्पादों' का विज्ञापन भी प्रारंभ कर दिया है। स्थानीय समुदायों को अभी थोड़ी सी राहत है क्योंकि इसमें से बहुत कम का वास्तव में परिचालन प्रारंभ हो पाया है। परंतु गुजरात पर्यटन जिस तीव्रता से इसके प्रोत्साहन में जुटी है उससे कुछ ही समय में इनके प्रारंभ हो जाने की आशंका है।

[1] http://www.sardarsarovardam.org/&
http://www. Gujrattourism.com/destination/sardarsarovar.html

बीएसईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर रीअलिटी लि. द्वारा रहवासी सुविधाओं हेतु नर्मदा निहार का निर्माण और रेवा भवन के स्तर में सुधार का कार्य पूर्ण कर इनका संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है।[2] नर्मदा निहार कहलाने वाली सुविधा का नया नामकरण लोटस रिवरसाइड रिसोर्ट, बड़ौदा हो गया है। यह रिसोर्ट कामत होटल्स (इंडिया) लि. ने अपने बैनर लोटस रिसोर्ट जो कि विलासिता एवं पानी के सम्मुख (वाटर रिसोर्ट) रिसोर्ट संचालन की एक श्रृंखला है, द्वारा प्रवर्तित है।[3]

2007 में हुई इन्वेस्टर समिट के दौरान एक्जोटिक रिक्रीएशन प्रा. लि. और गुजरात सरकार के मध्य अन्य कई पर्यटन विकास परियोजनाओं हेतु सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए हैं।[4] एक्जोटिक रिक्रीएशन प्रा. लि. गोरा क्षेत्र में 15 करोड़ रु. के निवेश से हाउस बोट्स का संचालन प्रारंभ करने की योजना बना रहा है जिसमें 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं 2009 की इन्वेस्टर समिट में पर्यटन क्षेत्र हेतु 96 सहमति पत्रों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए हैं जिनमें 43169 करोड़ रु. का निवेश प्रस्तावित है। हालांकि सहमति पत्रों का संपूर्ण विवरण अभी तक वेबसाईट पर नहीं डाला गया है परंतु इनमें से कुछ के पहले चरण के विकास में शामिल होने की आशंकाएं बताई जा रहीं हैं। विमानन क्षेत्र में अधिसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा एयरोस्पोर्ट्स एण्ड एडवन्चर एविएशन के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनी राजपिपला क्षेत्र में एयरोस्पोर्ट एवं रोमांचक गतिविधियां प्रारंभ करना चाहती है। उन्होंने सरकार से राजपिपला में हवाई पट्टी हेतु सुरक्षित भूमि को 99 वर्ष के लिए अपनी एक ऐसी परियोजना हेतु लीज पर देने का अनुरोध किया है जिसमें कि सरकार की भी बराबरी की भागीदारी होगी।[5] इस दिशा में नवीनतम गतिविधि के अंतर्गत गुजरात पर्यटन परियोजना विकास कंपनी लि. जो कि गुजरात पर्यटन निगम का संयुक्त उपक्रम है एवं आईएलएफएसआईडीसी द्वारा ग्रेट इंडिया टूरिज्म प्लानर्स एण्ड कन्सल्टेंट इंटरनेशनल (जीआईटीपीएसी) को नर्मदा नहर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की मांग, बाजार के हिसाब से मूल्यांकन एवं पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन हेतु अधिकृत किया गया हैं।[6]

[2] http:/?www.bsel.com/pag/annualreport-2006&07.org

[3] कामत होटल लोटस रिसोर्ट को बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ब्यूरो में 1 मार्च 2008 को प्रस्तुत किया गया http://www.moneycontrol.com/india/news/press-release/kamot-hotelsvits-lotus-resort-introducedat ITBBerlin-22/25/328726

[4] http://www.vibrantgujrat.com/mous_tourism.html

[5] http://www.vibrantgujrat.com/mous_2009/detail-mou-2009.html.9

[6] http://www.gitpac.com/project.php

पर्यटन हौले से लेकिन निश्चित तौर पर केवड़िया और आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रहा है। चूँकि पर्यटन को तो विशेषाधिकार प्राप्त हैं अतएव स्थानीय समुदायों के संघर्षों की आवाज को दबाया जा रहा है। इन गांवों के स्थानीय समुदायों के निवासियों का विरोध ऐसी भूमि जिस पर उनकी जीविका और पोषण हेतु निर्भरता है, को पर्यटन जैसी गतिविधियों हेतु लीज पर देने या नीलामी भर से नहीं है परंतु उस प्रक्रिया से भी है जिसके अंतर्गत उनके निर्णय लेने के संवैधानिक अधिकार जो कि उन्हें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त हैं, को छीनकर केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है।[7] एसएसएनएनएल पहले की ही तरह काडा को स्थापित करने में लगा है और उसने नर्मदा बांध के आस पास के 16 गांवों की भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है। केवड़िया कॉलोनी स्थित सत्याग्रह समिति के 7000 सदस्य जनजातीय भूमि पर काडा के गठन के राज्य सरकार के गलत व अनुचित निर्णय का विरोध कर रहे हैं।[8] गुजरात सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों के विरुद्ध किया जा रहा अन्याय बदस्तूर जारी है। भारत के महालेखाकार (सीएजी) ने अपनी 2007–08 की आडिट रिपोर्ट में राज्य में आदिवासी विकास कार्यक्रमों में अनेक कमियों एवं लापरवाहियों को उजागर किया है। जनजाति विकास विभाग ने बनासकांठा में अम्बाजी और नर्मदा जिले में केवड़िया में एक एक एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रु. की स्वीकृति भी दे दी है। इतना ही नहीं भवन निर्माण हेतु प्रत्येक को 2.50 करोड़ रु. आबंटित भी किए जा चुके हैं। परंतु इन मॉडल विद्यालयों का कार्य भूमि का आबंटन न होने की वजह से रुका पड़ा है।[9]

गुजरात सरकार इस क्षेत्र की पर्यटन योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटी है। इस प्रक्रिया में वह दुर्भावनावश अपने ही नागरिकों की तकलीफों को दूर करने की बात तो दूर उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। केवड़िया कॉलोनी के स्थानीय समुदाय पिछले 5 दशकों से उनके खिलाफ हो रहे अन्याय और सरकारी उदासीनता के विरुद्ध अपने संघर्ष को जिंदा रखते हुए उसकी निरंतरता भी बनाए हुए हैं। 'परियोजना प्रभावितों' के रूप में मान्यता पाने के अपने अधिकार हेतु संघर्ष को वे पूरी शक्ति से जारी रखेंगे जिससे कि उन्हें कम से कम ऐसी वैकल्पिक भूमि प्राप्त हो सके, जो कि जीविका आधारित पुनर्वास का आधार बनकर उन्हें सरदार सरोवर जलाशय प्रभावित अन्य वर्गों के समकक्ष माने। हालांकि विश्व बैंक ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट एवं

[7] आदिवासियों द्वारा विकास प्राधिकारी का विरोध–एक्सप्रेस न्यूज सर्विस 24 फरवरी 09 http://www.indianexpress.com/news/tribleprotestagainst_develepment_autonity/3591461

[8] वही

[9] सीएजी रिपोर्ट में आदिवासी विकास कार्यक्रमों में कई कमियां बताई गई। 24 फरवरी 09 http://www.indianexpress.com news/cag_report-points-out-several-slip-ups-in-tri/427320

इसके बाद मोर्स आयोग (बैंक द्वारा बांध की समीक्षा हेतु गठित एक स्वंतत्र समीक्षा आयोग) के माध्यम से इन 6 गांवों के अधिकारों के निर्धारण (जो कि 1960 से ही प्रभावित हैं) एवं नीतियों और अधिकारों की गंभीर अवहेलना पर सवाल भी उठाए थे। परंतु अब सिर्फ ये 6 गांव नहीं बल्कि 16 गांवों के आदिवासियों को पुनर्वास के किसी भी वादे या गारंटी के बिना ही अपनी भूमि और निवास से बेदखल और विस्थापित किया जा रहा है। क्या यह अमानवीय और असंवैधानिक नहीं है?क्या यह संयुक्त राष्ट्र संघ व आईएलओ 107 जैसे समझौतों का उल्लंघन नहीं है जिस पर भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किए हैं?वास्तव में यह उन समझौतों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन ही है।

अतएव इस अन्याय को किसी भी सूरत में बिना प्रश्न किए अथवा चुनौती दिए बिना जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। जो भी इस गाथा को पढ़ेगें उन्हें मालूम होना ही चाहिए कि गुजरात सरकार और उसके पुलिस बल ने आज दिन तक अपना धमकीभरा और दमनकारी व्यवहार कायम कर रखा है। समुदायों और आदिवासियों को सभाएं करने, विरोध करने व उनके अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग से रोका जा रहा है। इसके बावजूद अगर वे ऐसा प्रयास करते हैं तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता है। हाल ही में निजी निवेशकों के आ जाने के पश्चात डराने धमकाने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाईए और जल्दी से जल्दी गुजरात सरकार को इस संबंध में निंदा पत्र लिखिए साथ ही गुजरात के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय को अपील एवं ज्ञापन भेजिए। इसके अतिरिक्त गुजरात के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पत्र लिखें। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए जनमत तैयार करने के लिए अपना सहयोग व एकजुटता प्रदर्शित करें, जिससे कि इस नृशंस अन्याय को रोका जा सके।

सरदार सरोवर बांध के सामने पर्यटन अधिसंरचना

दोनों किनारों पर विकसित होने वाली पर्यटन अधिसंरचना

प्रस्तावित नौकायन (बोटिंग) सुविधा

नर्मदा निहार होटल

प्रस्तावित पर्यटन संबंधित नक्शा

नर्मदा निहार होटल में उपलब्ध सुविधाएं

मौजूदा अधिसंरचना को बेहतर बनाना

हारने से इन्कार

परिशिष्ट – 1

तालिका – 1 पर्यटन संबंधित मामलों में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों/नगरपालिकाओं के अधिकार व जिम्मेदारियां एवं इसी की तुलना में पर्यटन उद्योग की अपेक्षाएं।

ये अधिकार व जिम्मेदारियां भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतों के अधिकार व जिम्मेदारियां) एवं बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाओं के अधिकार व जिम्मेदारियां) में बताई हुई मदों पर आधारित हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 व 244 के अंतर्गत एक कानून बनाकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सहभागिता और भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के द्वारा प्रकट की गई स्थानीय स्वशासन की भावना को लागू करें। कुछ राज्यों ने इस मसले पर कानून का मसौदा तैयार करने की दिशा में कुछ कदम तो बढ़ाएं हैं परन्तु देश में सत्ता और अधिकारों का वास्तविक हस्तांतरण अभी भी सच्चे अर्थों अर्थों में प्रभावशाली नहीं हो पाया है। पर्यटन के संबंध में पंचायतों और नगरपालिकाओं के अधिकार भिन्न–भिन्न राज्यों में अलग–अलग हैं। साथ ही वे इस पर भी निर्भर करते हैं कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित राज्य के कानून किस प्रकार स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को वास्तव में अधिकार प्रदान करते हैं।

पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार और शक्तियां	पर्यटन उद्योग की आवश्यकताएं	टिप्पणी
भूमि को उन्नत बनाना, भूमि सुधार लागू करना (ग्यारहवीं अनुसूची के अनुरूप) भूमि उपयोग का नियमन, भवन निर्माण एवं नगर नियोजन (बारहवीं अनुसूची के अनुरूप)	होटलों, लॉज, रिसोर्ट, स्विमिंगपूल, केसीनो (जुआघरों) गोल्फकोर्स आदि के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता	स्थानीय शासन इकाईयों की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाली किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए पर्यटन उद्योग को संबंधित मामले के अनुरूप पंचायतों/नगर पालिकाओं की अनुमति आवश्यक है।

पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार और शक्तियां	पर्यटन उद्योग की आवश्यकताएं	टिप्पणी
शहरी वनीकरण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारिस्थितिक मामलों को प्रोत्साहन (बारहवीं अनुसूची) भूमि की चकबंदी एवं मिट्टी का संरक्षण (ग्यारहवीं अनुसूची)	प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग	प्राकृतिक संसाधन मूलतः स्थानीय व्यक्तियों के हैं एवं इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखना आवश्यक है। अतएव प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का कानूनी अधिकार होने से नगरपालिका और पंचायतों से अनुमति (परमिट) लेना अनिवार्य है। (भोगाधिकार)
अधिसूचित क्षेत्र में विकास परियोजनाओं एवं पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा अथवा पंचायत से उचित स्तर पर विचार विमर्श आवश्यक है (यह प्रवधान इस वजह से है कि अधिसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों की भूमि के शोषण और भूमि से बेदखली जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही किये जाने की प्रतीक्षा नहीं	होटलों, लॉज, रिसोर्ट, स्विमिंगपूल, केसीनो (जुआघरों) गोल्फकोर्स आदि के निर्माण एवं पर्यटन संबंधी अन्य सुविधाओं हेतु भूमि की आवश्यकता	स्थानीय इकाई की अनुमति आवश्यक।

contd.

पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार और शक्तियां	पर्यटन उद्योग की आवश्यकताएं	टिप्पणी
करना पड़े। (भारत के संविधान का भाग – 10 पेसा के माध्यम से)		
लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास (ग्याहरवीं अनुसूची) व्यावसायिक, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति (बारहवीं अनुसूची)	होटल उद्योग / रिसोर्ट में मेहमानों द्वारा स्विमिंग पूल, गोल्फकोर्स व रोजमर्रा के कार्यों हेतु बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है।	स्थानीय इकाई की अनुमति (परमिट) आवश्यक।
अधिसूचित क्षेत्र में लघु जल इकाईयों की योजना निर्माण एवं प्रबंधन (पेसा के माध्यम से)	जल की नियमित आपूर्ति के लिए स्थानीय नदियों, तालाबों, झीलों एवं धाराओं पर निर्भरता	पंचायतों से अनुमति आवश्यक।
घरेलू, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति (बारहवीं अनुसूची)	होटल उद्योग को विभिन्न उपयोग हेतु जल की आवश्यकता। (नहाना, धोना, तैरना, साफ–सफाई, बागवानी आदि)	पंचायतों से अनुमति आवश्यक।
सड़कें, पुलियाएं, पुल, फेरीज (नाव),जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन। (ग्यारहवीं अनुसूची)	पर्यटकों की आसान आवाजाही हेतु पर्यटन उद्योग की आधारभूत अधिसंरचना संबंधित आवश्यकताएं।	पंचायतों से अनुमति आवश्यक।
सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना (दोनों अनुसूचियों के अंतर्गत)	यथोचित स्वास्थ्य सुविधाओं, सेनिटेशन, अपशिष्ट निपटान प्रणाली, नियमित जल आपूर्ति, ईंधन, ड्रेनेज प्रणाली, बाजार, मेले इत्यादि	पंचायतों से अनुमति आवश्यक।

पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार और शक्तियां	पर्यटन उद्योग की आवश्यकताएं	टिप्पणी
लघु वनोपज एवं सामुदायिक संपत्ति की देखरेख (सामुदायिक संसाधन)	वनों को पर्यटकों के लिए खोलना। वनों के भीतर रिसोर्ट का निर्माण। जानवरों को निकट से देखने के लिए सफारी उपलब्ध करवाना। बोनफायर (रात में अलाव आदि जलाना)	पंचायतों के साथ ही साथ वन विभाग की अनुमति की भी आवश्यकता।
ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत वितरण भी शामिल है (ग्यारहवीं अनुसूची) जन सुविधाएं जिनमें सड़क पर रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टाप एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं। (बारहवीं अनुसूची)	क्षेत्र का भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों हेतु सड़क पर रोशनी (स्ट्रीट लाईट) पार्किंग स्थल, बसस्टॉप व अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था।	हालांकि विद्युत उत्पादन का कार्य राज्य की कार्य सीमा में आता है। परन्तु स्ट्रीट लाईट के लिए पंचायत की अनुमति आवश्यक है एवं नगरपालिका की सीमा के अंतर्गत स्ट्रीट लाईट, पार्किंग स्थल बस स्टॉप व अन्य जन सुविधाओं के लिए नगर पालिका की अनुमति आवश्यक है।
ठोस अपशिष्ट निपटान (बारहवीं अनुसूची)	उचित एवं सुरक्षित अपशिष्ट निपटान प्रणाली की आवश्यकता।	पर्यटन उद्योग की यह अपेक्षा होती है कि इस संदर्भ में सारे इंतजाम नगरपालिका ही उपलब्ध करवाएं।

पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार और शक्तियां	पर्यटन उद्योग की आवश्यकताएं	टिप्पणी
स्वास्थ्य एवं साफ सफाई : इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं डिस्पेंसरीज सम्मिलित हैं (ग्यारहवीं अनुसूची) सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई एवं रख–रखाव (बारहवीं अनुसूची)	समुचित ड्रेनेज की आवश्यकता, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य संबंधित एहतियाती कदम/रोगाणुनाशकों का छिड़काव	पर्यटन उद्योग यह आशा रखता है कि पंचायत/नगरपालिका जरुरी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं
सांस्कृतिक गतिविधियां (ग्यारहवी अनुसूची) सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौंदर्यपरक आयामों को प्रोत्साहन देना (बारहवीं अनुसूची)	स्थानीय व देशज आराध्यों, देवी–देवताओं के उत्सव आयोजित करना, सांस्कृतिक प्रदर्शन, मनोरंजन गतिविधियां, सर्कस, प्रदर्शनियां।	पर्यटन उद्योग की अपेक्षा रहती है कि पंचायत/नगरपालिकाएं इनका इंतजाम करें और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।
गरीब वर्ग विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले समुदायों का उद्धार।	पर्यटन उद्योग को न तो इसकी आवश्यकता है और न ही उसकी इसमें रुचि रहती है। उद्योग ने इस हेतु कोई सकारात्मक कदम भी नहीं उठाए हैं और न ही निजी क्षेत्र ने आरक्षण को स्वीकारा है। आदिवासियों के संदर्भ में यदि उनकी संस्कृति, शिल्प और रीति–रिवाज की बात करें तो स्थानीय समुदायों को वस्तुपरक बना दिया गया है	पर्यटन उद्योग की इस मामले में कोई रुचि नहीं है।

पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार और शक्तियां	पर्यटन उद्योग की आवश्यकताएं	टिप्पणी
महिला एवं बाल विकास	पर्यटन उद्योग की इसमें कोई गंभीर रुचि नहीं है।	
बाग–बगीचे और खेल के मैदान जैसी शहरी सुविधाओं का प्रावधान (बारहवीं अनुसूची) सामुदायिक संपत्तियों की देखरेख (ग्यारहवीं अनुसूची)	पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन हेतु सार्वजनिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, सड़क किनारे लगे पेड़ों का इस्तेमाल	नगर पालिकाओं/ पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि इन्हें उपलब्ध कराएं और इनकी देखरेख भी करें।
बाजार एवं प्रदर्शनियां (मेले)	स्थानीय सार्वजनिक बाजार (रविवार के बाजार या साप्ताहिक हाट) मछली बाजार, सब्जीमंडी, स्थानीय हस्तशिल्प, आभूषण, सीपियां एवं शंख इत्यादि। उपरोक्त वस्तुओं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करना और कभी–कभी स्थानीय उत्पादों के स्त्रोत के रूप में कार्य करना।	पंचायतों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इनका आयोजन करें एवं रखरखाव भी करें। इससे स्थानीय समुदायों को मिलने वाले आर्थिक लाभ तो नगण्य ही होते हैं।

तलिका – 1 के अंतर्गत पहले और दूसरे कालम में पंचायतों और नगरपालिकाओं को 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अनिवार्य शक्तियों एवं कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है एवं इसी के साथ ही साथ पर्यटन उद्योग की आवश्यकताओं को भी दर्शाया गया है।

इस तालिका से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पर्यटन उद्योग अपने संसाधनों हेतु काफी कुछ पंचायतों और नगरपालिकाओं पर निर्भर है, क्योंकि ये सभी संसाधन पंचायत/ नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतएव यह बहुत ही आवश्यक है कि क्षेत्र में पर्यटन विकास के बारे में स्थानीय पंचायतों/नगरपालिकाओं को सूचित किया जाए। स्थानीय स्वशासी निकायों (एलएसजीआई) को यह अधिकार होना चाहिए कि वह

अपनी सीमा के अंतर्गत स्थापित होने वाले पर्यटन विकास की अनुमति इस बात को ध्यान में रखकर ही दें कि पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होती हैं जहां पर उनका विकास होता है। इतना ही नहीं वे स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग भी करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्थानीय स्वशासी इकाईयां को अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाएं। इसके बावजूद यह भी सत्यता है कि कई राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासी इकाईयों को अधिकार प्रदान करने वाले कानून बनाने में ना–नुकुर कर रही हैं। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जबकि बात राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा को लागू करने की हो। बहुत कम राज्यों ने जिन अंचलों में देशज समुदाय निवास कर रहे हों वहां पेसा को उसकी मूल भावना में मान्यता देने व लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दर्शाई है।

इस मुद्दे पर अक्सर यह तर्क किया जाता है (उन व्यक्तियों द्वारा जो कि सैद्धांतिक तौर पर विकेन्द्रीकरण के विरोधी हैं) कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन व ग्यारहवीं अनुसूची में भी वास्तव मे पंचायतों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को औपचारिक स्वरूप प्रदान नहीं किया है। अनुसूचियों में उन विकास क्षेत्रों को मात्र सूचीबद्ध किया गया है जहां पर कि संबंधित स्थानीय सरकारों की आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में भूमिका होगी। परन्तु 73वें और 74वें संशोधन के उद्देश्यों के वक्तव्य से यह साफ हो जाता है कि लम्बे समय से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे और योजना बनानेवाले यह महसूस कर रहे थे कि कुछ ऐसे संवेधानिक मापदण्ड स्थापित किए जाएं जिससे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में समानता आ सके और उन्हें प्रदत्त अधिकारों एवं आदेशों को लागू कराने की शक्तियां भी प्राप्त हों। ये वैधानिक तौर ऐसे बाध्यकारी अधिकारों का निर्माण कर सकती हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। राज्य सरकारें बाध्य हैं कि वे संबंधित पंचायती राज कानून के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकार व कार्य संबंधित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सौपें, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र की योजना के निर्माण व विकास में वैधानिक रूप से शामिल हो सकें।

स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को प्रदत्त संवेधानिक दर्जे के अंतर्गत उन्हें इतने अधिकार प्राप्त हैं कि वे स्थानीय स्वशासन में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं जिसे देश ने अभी तक नहीं देखा है। यहां यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया सिर्फ भागीदारी की पद्धति भर नहीं है बल्कि यह, यह भी सुनिश्चित करती है कि जिन गरीबों, हाशिये पर रह रहे व्यक्तियों, दलितों, उत्पीड़ितों और वे सब जिनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है, की आवाजें भी सुनी जाएं। इतना ही नहीं यह राजनीतिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित करता है।

परिशिष्ट – 2
गुजरात राज्य में पेसा

गुजरात के अधिसूचित क्षेत्रों का ब्योरा

जिला, तालुका (ब्लाक)

1. साबरकांठा खेड़ब्रहम, विजय नगर, भिलोदा, मेघराज
2. पंचमहाल दाहोद, झलोद, संतरामपुर, लिमखेड़ा, देवगढ़बरिया
3. वडोदरा (बड़ौदा), छोटा उदयपुर, नसवाड़ी, तिलकवाड़ा, जेतपुर, वापी
4. भडूच डेडियापाड़ा, सागबारा, वालिआ, नान्डोड, झघड़िया
5. सूरत सोनगढ़, उच्छल, व्यारा, वलोड, निजार, मांडवी, महुआ, मांगरोल, बारडोली
6. वलसाड, वनसदा, धरमपुर, चिकली, परादी, उमरगान
7. डेंग अहवा

गुजरात पेसा में भी स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा केन्द्रीय पेसा में गांव की परिभाषा के सादृश्य ही है। हालांकि यह स्थानीय क्षेत्र ही होता है जो कि गांव की स्थापना करता है। परन्तु इसकी आधिकारिक घोषणा का कार्य राज्य के राज्यपाल पर छोड़ा हुआ है। केन्द्रीय पेसा के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप ही गुजरात ने अब ग्रामसभाओं को कानून के जरिये यह मान्यता दी है कि वे निम्न कारकों को सुरक्षित व संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील होंगी, ये हैं :

- परम्पराएं और रीति रिवाज
- सांस्कृतिक पहचान
- सामुदायिक संसाधन
- विवाद निपटान का पारम्परिक तरीका

हमारे अधिकार ! परन्तु हम उनका उपयोग कैसे करें?

गुजरात पेसा में ग्रामसभाओं और पंचायतों के अधिकारों को यथोचित स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। इस स्तर पर कुछ अधिकार केवल ग्रामसभा को प्राप्त हैं तो कुछ केवल पंचायतों को और कुछ अधिकार इन संस्थानों में से किसी एक को हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि गुजरात में कुछ ऐसे अनिवार्य अधिकार जो कि ग्रामसभा के साथ ही साथ एक अन्य स्तर पर पंचायतों को दिए जाने थे, नदारद हैं। गुजरात राज्य में विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकारों को जो अधिकार आबंटित किए गए हैं, वे निम्नानुसार हैं,

तालिका – 2.1 विभिन्न अन्तर स्तरों पर अधिकारों का तुलनात्मक आबंटन

अधिकार	अन्तरस्तरीय आबंटन	
	केन्द्रीय पेसा	गुजरात पेसा
1. विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के पूर्व एवं ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन के पूर्व सलाह मशविरा करना।	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	तालुका पंचायत
2. लघु खनिज पदार्थों के दोहन हेतु लाईसेंस या खनिज लीज आबंटन के साथ ही साथ लघु खनिज पदार्थों को नीलामी के द्वारा दोहन हेतु पूर्व अनुशंसा आवश्यक है।	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	
3. लघु जल इकाईयों हेतु योजना बनाने का एवं प्रबंधन का अधिकार	विशिष्ट स्तर पर केवल पंचायतें	ग्राम पंचायतें
4. किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के उपभोग अथवा बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, उनका नियमन करना अथवा उनके प्रयोग को सीमित करना	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	ग्राम पंचायतें
5. लघु वनोपजों का स्वामित्व	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	ग्राम पंचायतें
6. अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व के अधिकार के हस्तांतरण को रोकना और यदि आदिवासियों की भूमि को गैरकानूनी ढंग से हस्तांतरित किया गया हो तो उसकी बहाली के लिए समुचित कदम उठाना।	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	जिला पंचायतें

तालिका – 2.1 विभिन्न अन्तर स्तरों पर अधिकारों का तुलनात्मक आबंटन

अधिकार	अन्तरस्तरीय आबंटन	
	केन्द्रीय पेसा	गुजरात पेसा
7. सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों एवं अधिकारियों पर नियंत्रण	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	ग्राम पंचायतें
8. गांव के बाजारों का प्रबंधन	ग्रामसभा अथवा विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	
9. धन को उधार देने पर नियंत्रण।	ग्रामसभा एवं विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	ग्राम पंचायतें
10. स्थानीय योजनाएं एवं इस तरह की योजनाएं जिसमें आदिवासी उपयोजना भी सम्मिलित हैं, की रूपरेखा निर्माण और आवश्यक संसाधनों पर नियंत्रण।	ग्रामसभा एवं विशिष्ट स्तर पर पंचायतें	तालुका पंचायतें
11. सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु विकास योजनाओं कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देना।	केवल ग्रामसभा	केवल ग्रामसभा
12. गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु हितग्रहियों की पहचान व चयन।	केवल ग्रामसभा	केवल ग्रामसभा
13. पंचायत द्वारा सम्पन्न कराई गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रयुक्त कोष का उपयोग (व्यवहार्य) प्रमाण पत्र प्रदान करना।	केवल ग्रामसभा	केवल ग्रामसभा

यह भी मजेदार तथ्य है कि गुजरात पंचायत संशोधन अधिनियम 1998 (1998 का कानून क्रमांक 5) को भारतीय संविधान द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित शासन प्रणाली द्वारा विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए ही पारित किया गया था। अनुच्छेद 278 ए के अनुसार यह कानून पांचवी अनुसूची में किए गए संशोधनों के अनुरूप ही संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा (1) के निर्देशानुसार ही राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा।

वहीं गुजरात पंचायत राज्य अधिनियम 1993 अध्याय ग्प्ट के अंश क्रमांक 237 में बहुत ही स्पष्टता से यह लिखा गया है कि राज्य सरकार को पूरे राज्य में सड़क निर्माण, जल वितरण और अन्य सभी मसलों के लिए पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का निर्माण, परियोजना निर्माण या इससे संबंधित प्रचार का कार्य करने का अधिकार पूर्ववत कायम है। सरकार को यह अधिकार किसी एक जिले या अधिक जिलों (प्रत्येक) से संबंधित किसी भी परियोजना या कार्यक्रम के निर्माण के संबंध में भी होगा। कानून में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इस प्रक्रिया में राज्य के पांचवी अनुसूची के क्षेत्र जहां पर ये गतिविधियां सीधे–सीधे स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित करेंगी क्या वहां की ग्रामसभा से भी सलाह मशविरा किया जाएगा?

यह दर्शाता है कि गुजरात राज्य में राज्य सरकार की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की इच्छाशक्ति और आकांशा, खासकर पेसा क्षेत्रों के संबंध में अत्यंत दयनीय है। अधिकांश समीक्षकों के अनुसार गुजरात में पंचायती राज संस्थानों को किसी भी प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, राज्य का स्वास्थ्य विभाग सोचता है कि पंचायतों को उसके विभाग के कार्यों के निरीक्षण और निगरानी के लिए उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए।[1] जबकि आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी विकास गतिविधि जिसमें सड़क जैसी किसी भी प्रकार की अधिसंरचनात्मक सुविधा अथवा जन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण जैसे मुद्दे भी सम्मिलित हैं, की योजना बनाते समय ही स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करने हेतु नीचे से ऊपर की ओर अधिकारों का हस्तांतरण करने वाली पद्धति अपनाना चाहिए। गुजरात में पंचायती राज्य संस्थान वर्षों से अस्तित्व में हैं परन्तु पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों के बीच के मतभेदों को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है।[2]

[1] देखिए गुजरात राज्य में पंचायती राज्य संस्थानों में विकेन्द्रीयकरण की स्थिति (1999–2000) डॉ.ए.एम. खान, समाज विज्ञान विभाग, www.nihfw.org/asp/researchstudies.asp?cuarrentpage=6

[2] वही

सवाल उठता है कि जिन पेसा क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन हो गया है वहां की स्थानीय शासन संस्थाओं के वैधानिक अधिकारों, जिम्मेदारियों और कार्यों का क्या होगा?

देश के विभिन्न इलाकों में खासकर जहां विशाल अधिसंरचनात्मक विकास और पर्यटन निवेश हो रहा है, में कुकुरमुत्तों की तरह अस्तित्व में आए विकास प्राधिकरणों की प्रस्तावित संरचना, कार्य और अधिकारों को ध्यान से देखने पर यह कहा जा सकता है कि इन इलाकों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों हेतु सभी शक्तियां, कार्य एवं अधिकार इन्हीं प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इससे स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, जिनमें पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाएं भी सम्मिलित हैं, का अस्तित्व और अधिकार पूर्णतया समाप्त हो जाएगें। अनेक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में अपनी चिन्ता जताते हुए ठीक इशारा किया है कि पंचायतें ''स्वशासन की संस्थाएं'' हैं[3] और ये ''प्रजातंत्र के सबसे महत्वपूर्ण साधन'' की पहचान भी हैं। जमीनी स्तर पर औचित्यपूर्ण व प्रभावशाली प्रजातांत्रिक संस्थानों के अभाव में ऊपरी स्तर के सभी संस्थान बिना किसी विषय वस्तु वाले मात्र आकार भर होगें। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा नहीं है।[4] यह तो जमीनी स्तर के प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा है। दूसरी तरह से कहें तो यह सबकुछ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि निर्णय लेने के अधिकारों और संसाधनों के नियंत्रण का केन्द्रीयकरण करा जा सके।[5] पर्यटन को आर्थिक और सामाजिक विकास की वृद्धि के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि पर्यटन उद्योग और पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों से कभी–कभार ही स्थानीय समुदाय की जरुरतें और आकांक्षाएं पूरी होती हैं अथवा उन्हें सीधे–सीधे कोई लाभ मिल पाता है। केरल के वेम्बानाड का उदाहरण हमारे सामने है। पर्यटन उद्योग के आगमन का यहां के निवासियों ने आरंभ में स्वागत किया। परन्तु बाद के वर्षों में स्थानीय निवासियों ने पर्यटन के भार को अनेक तरह से महसूस किया। इस क्षेत्र में पर्यटन से पड़ने वाले कुछ मुख्य प्रभाव हैं, पर्यटन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में कई गुना वृद्धि होना, वेम्बानाड झील के किनारों पर रिसोर्ट समूह निर्मित हो जाने से उन स्थानीय निवासियों

[3] भारत का संविधान, अनुच्छेद 243 जी एवं 243 डब्ल्यू

[4] देखिए ''ऐडिसमल रिकार्ड आफ ग्रासरुट्स डेमोक्रेसी, द्वारा जार्ज मेथ्यु, पीयूसीएल बुलेटिन, सितम्बर 2002

[5] केरल पर्यटन (क्षेत्रों का संरक्षण एवं बचाव) अधिनियम 2005 की धारा 3 (2) एवं 5 (1) के अनुसार, भले ही ऐसे अनेक कानून इस क्षेत्र में लागू हो जो कि स्थानीय स्वशासी संस्थानों और अन्य वैधानिक प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान करते हों, परन्तु जैसे ही किसी क्षेत्र को पर्यटन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लाया जाएगा वैसे ही उस इलाके की सभी विकासात्मक गतिविधियां पर्यटन प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप ही संचालित की जाने लगेगीं।

की आवाजाही पर रोक लगा गयी जो कि मछली मारने व सीप के एकत्रीकरण पर निर्भर थे, स्पीड बोट्स की संख्या में वृद्धि, मोटरबोट और हाउस बोट के कारण समुदाय के मछली पकड़ने के जालों को नुकसान पहुचने लगा एवं पर्यटन उद्योग से रोजगार के अवसर तो खुले परन्तु इससे स्थानीय समुदाय को बहुत लाभ नहीं पहुंचा क्योंकि बड़े होटलों के अधिकांश कर्मचारियों की नियुक्तियां बाहर से ही की गई थीं और पर्यटन उद्योग ने जिन संविदा (ठेके) कर्मचारियों को नियुक्त किया था उनके रोजगार को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी।

पर्यटन उद्योग के लिए आवश्यक संसाधनों पर निगाह डालने एवं प्रस्तुत तालिका को गौर से देखने से यह रहस्योद्घाटन होता है कि पर्यटन उद्योग जिन संसाधनों का प्रयोग करता है, वे प्रत्यक्ष तौर पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह मामला तब और भी गंभीर एवं ध्यान देने योग्य हो जाता है, जब ऐसी कोई नई नीति या कानून पारित किया गया हो जो स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को प्रदत्त संवेधानिक और कानूनी अधिकारों और स्वअधिकारों के प्रयोग को सीमित करता हो अथवा उन पर रोक लगाता हो। समानांतर संस्थानों का गठन अथवा संस्थानों को ऊपर से थोपने से न केवल भ्रम फैलेगा बल्कि अनिश्चितता भी पुनर्स्थापित होगी। विकास प्राधिकरणों का अधिसंरचना विकास के मामलों में नजरिया क्या और भी संकीर्ण होगा तथा उनके माध्यम से क्या मात्र पर्यटन विकास में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य में समुदायों को जो अधिकार स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के संदर्भ में उपलब्ध हैं, उनका अतिक्रमण किया जाएगा?इस संदर्भ में गंभीर सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है।

परिशिष्ट – 3

गुजरात पंचायत संशोधन अधिनियम, 1998 (अधिनियम क्रमांक 5 – 1998)।

इस कानून ने गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 को संशोधित कर दिया है भारतीय गणराज्य के उनपचासवें वर्ष में लागू यह अधिनियम इस प्रकार है :–

1. यह अधिनियम गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहलाएगा

2. गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 (अब से इसे ''मूल अधिनियम'' के तौर पर संदर्भित किया जाएगा) में धारा 278 के पश्चात निम्न धाराओं को सम्मिलित किया जाएगा :

278 ए – यह अधिनियम राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 धारा (1) के संदर्भ में चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए लागू होगा।

278 ए–ए – राज्य के अधिसूचित क्षेत्र जो कि पांचवी अनुसूची में दर्शाए गए हैं, में यह अधिनियम जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा (1) के अनुरूप है, को उसी अनुसूची के कालम 3 में बताई गई सीमा तक ही संशोधित किया जा सकता है।

IV अनुसूची

(देखिए धारा 278 ए)

(गुजरात राज्य के उन अधिसूचित क्षेत्रों में जहां यह अधिनियम लागू होता है, संशोधन के संदर्भ में)

2 खण्ड 2 का स्थान निम्नलिखित खण्ड लेगा :–

4 (1) गांव में इस तरह के कार्य सम्पन्न कराने हेतु अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करवाने हेतु ग्रामसभा होगी।

(2) ग्रामसभा उन व्यक्तियों से बनेगी जिनके नाम उस गांव की मतदाता सूची में शामिल हों।

(3) ग्रामसभा निम्न अतिरिक्त कार्य भी सम्पन्न कराएगी;

(अ) ग्रामसभा ग्रामवासियों की परम्पराओं और रीति–रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों एवं आपसी विवाद निपटाने के पारम्परिक तरीकों की सुरक्षा और उन्हें संरक्षित रखने हेतु गंभीर प्रयत्न करेगी।

(ब) ग्रामसभा निम्न कार्य सम्पन्न करेगी।

(1) पंचायतों द्वारा समुदाय के सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित किसी भी योजना, परियोजना अथवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व ग्रामसभा द्वारा उसे स्वीकृती किया जाना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के पंचायतों को किसी भी योजना, परियोजना अथवा कार्यक्रम को लागू करने की अनुमति नहीं है।

(2) गांव में गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों हेतु निवासियों का हितग्राहियों की तरह से पहचान अथवा उनका चयन करना।

3. खंड 7 के उपखंड 1 में निम्न उपबन्ध (शर्ते) जोड़े जाएगे;

''अधिसूचित क्षेत्र के किसी भाग की स्थानीय क्षेत्र के रूप में अनुशंसित करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य तौर पर रिहायश या रिहायशों का समूह या डेरा या डेरों का ऐसा समूह, शामिल होता है जिसमें कि कोई ऐसा समुदाय निवास करता हो, जो कि अपने सामान्य काम–काज को अपनी विशिष्ट परम्पराओं एवं रीति–रिवाज के माध्यम से संचालित करता हो।''

।।. खंड 108 में उपखण्ड (4) के बाद निम्न उपखण्ड भी जोड़ा गया;

''(5) (अ) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु गांव की पंचायत के अधिकार क्षेत्र वाले वन में पाए जाने वाली लघु वनोपजों (राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्यों को छोड़कर) से संबंधित अधिकार ग्राम पंचायत में ही निहित होंगे।''

(ब) लघु वनोपजों की बिक्री से प्राप्त धन ग्रामकोष को देय होगा और वह ग्राम कोष का ही हिस्सा बनेगा।

(स) धारा (अ) में उल्लेखित किसी भी स्थिति को ग्राम पंचायत में निहित निरुपित नहीं किया जाएगा, मुख्यतः वन क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि जिसे धारा (अ) में वृक्ष और रोपणी इत्यादि के रूप में चिन्हित किया गया हो।

स्पष्टीकरण : इस उपखण्ड में अभिव्यक्ति के उद्देश्य से ''लघु वनोपज'' का वही अर्थ होगा जो कि गुजरात लघु वनोपज व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1979 के खंड 2 की धारा (9) में निर्धारित है।

12. खंड 112 में उपखंड (1) के पश्चात निम्न उपखण्ड को सम्मिलित किया जाएगा;

(1 अ) ''ग्राम पंचायत खंड 4 के उपखण्ड (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट पंचायतों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं हेतु कोष के उपयोग किए जाने का प्रमापीकरण ग्रामसभा से प्राप्त करेगी।''

13. खंड 132 के पश्चात निम्न खण्ड जोड़ा जाए;

''132 अ, तालुका पंचायत से सलाह मशविरा किया जाएगा (अ) भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के अंतर्गत तालुका में स्थित किसी भी भूमि का अधिग्रहण, किसी भी विकास परियोजना हेतु किए जाने से पूर्व (ब) इस तरह की परियेाजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन अथवा पुनर्वास के पूर्व।''

14. खंड – 1 में

(1) प्रविष्टि 1 में उपप्रविष्टि (1) के बाद, निम्न उपप्रविष्टि सम्मिलित की जाएगी;

(1 अ) नशाबंदी लागू अथवा उसका नियमन करना या नशीले पदार्थों की बिक्री और उपभोग को सीमित करने के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित हैं।

(2) प्रविष्टि क्रमांक – 7 में उपप्रविष्टि (के) के पश्चात निम्न उपप्रविष्टि सम्मिलित की जाएगी;

(के–।) लघु जल इकाईयों के प्रबंधन और योजना निर्माण ग्राम पंचायत में निहित है।

(3) प्रविष्टि क्रमांक 10 के पश्चात निम्न प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ;

।।. सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों और अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार ग्राम पंचायतों में निहित है।

15. अनुसूची 2 भाग । में, प्रविष्टि क्रमांक 5 में उपप्रविष्टि (डी) के बाद निम्न उपप्रविष्टि जोड़ी जाए;

(ई) स्थानीय योजनाएं एवं संसाधन, जिसमें आदिवासी उप योजनाएं भी सम्मिलित हैं, ऐसी योजनाओं का नियंत्रण तालुका पंचायत में निहित है।